RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 10 05 जून 2022

जगत विज़न

सुप्रीम फैसले से मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव

क्या आरक्षण से हुआ है ओबीसी के साथ अन्याय?

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ का पलड़ा भारी

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 22 अंक 10 05 जून 2022

सुप्रीम फैसले से मध्यप्रदेश में
पंचायत चुनाव

(पृष्ठ क्र.-6)

■ सोची समझी साजिश से विपक्ष को खत्म करना चाहती है 38
■ काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के कुंड में मिला शिवलिंग 44
■ उक्ता पंजाब के बाद यह नया ट्रेंड कैसा? 48
■ हिन्दी पत्रकारिता का अभ्युदय केन्द्र 50
■ दुबांशे में पाकिस्तान क्यों नहीं आया? 53
■ सामाजिक एकता बढ़ाएगा समान कानून 54
■ आरक्षण मामले में राजनीति कर रही भूपेश सरकार 56
■ नकाब हटाने की सजा मौत 60
■ Water pollution an Invitation to health disease 62

लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है
क्या देश को विपक्षहीन बनाना चाहते हैं मोदीजी?
ED
CBI
विजया:)

पुलिस के निकम्मेपन के जिम्मेदार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा!

पिछले वर्ष की एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में क्राइम रेट अन्य राज्यों की तुलना में काफी बढ़ा हुआ है। बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार प्रदेश के पुलिस प्रशासन को बताया गया है। अपराधियों के बुलंद होते हौंसले का एक कारण प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की असफलता का उदाहरण है। प्रदेश में खस्ताहाल होती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की है। जितना समय नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ऊपर बयानबाजी के लिए निकालते हैं अगर उसका आधा समय भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए दें तो प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। आलम यह है कि नरोत्तम मिश्रा अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में अपने विभाग पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आवभगत में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शांति के टापू कहे जाने वाले मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। पुलिस के इस निकम्मेपन के जिम्मेदार प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ही हैं। जो न केवल प्रदेश में बढ़ते इम ग्राफ को कम कर पा रहे हैं और न ही कानून व्यवस्था को दुरूस्थ करने के प्रयास कर रहे हैं।

यही कारण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहां अपराधियों को न तो कानून का भय है और न ही सरकार का। यही वजह है कि प्रदेश में आये दिन लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, मारपीट, खून जैसी अनेकों घटनाएं हो रही हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस कानून व्यवस्था को दुरस्त करने की जिम्मेदारी प्रदेश के गृहमंत्री और पुलिस की है वह इस समय मूकदर्शक बने बैठे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में कहीं आदिवासियों पर तो कहीं महिलाओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं और मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हर घटना के बाद केवल बयानों के माध्यम से जांच कराने के निर्देश देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मौन भी सरकार और गृहमंत्री की अकर्मणता मध्यप्रदेश की जनता के लिए भारी पड़ता जा रहा है। वे जनता की चिंता से कोसों दूर हैं और सिर्फ विपक्ष पार्टी और उनके नेताओं पर बयानबाजी करने पर फोकस कर रहे हैं।

प्रदेश में बुलडोजर राजनीति ने भाजपा को जनता से दूर किया है और इसका श्रेय भी नरोत्तम मिश्रा को जाता है। जहां बुलडोजर मामा की छवि शिवराज के लिए भारी पड़ रही है वहीं कट्टरता से परिपूर्ण नरोत्तम की जमींदोज करने वाली राजनीति प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आ रही। मध्यप्रदेश में इंसाफ लोगों का स्टेटस देखकर मिल रहा है। अगर आप मंत्री पुत्र हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप रहीस परिवार से आते हैं तो आपको क्लीनचिट मिल जाएगी। आप कोई बुलडोजर नहीं चलेगा वहीं कहीं आप गरीब या किसी संप्रदाय विशेष से आते हैं तो आपकी खैर नहीं। कैसे मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने साथी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य गोविंद राजपूत को व्यापमं मामले में बिना जांच के क्लीनचिट दे दी। बात-बात में बुलडोजर से जमींदोज करने वाले मंत्री मिश्रा ने जबलपुर से भाजपा परिवार के और पूर्व एबीवीपी नेता रेपिस्ट शुभांग गोटिया के घर तरफ कोई बुलडोजर नहीं भेजा। वहीं इनकी अप्रोच सिवनी जिले में आदिवासी मॉबलिंचिंग वाले अभियुक्तों के प्रति रही है। नरोत्तम मिश्रा और सरकार का बुलडोजर लोगों की हैसियत, पार्टी के प्रति निष्ठा और जाति देखकर चलता है। वर्तमान समय में प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड कानून की धजियां उड़ी हुई हैं उसे देखते हुए मन में कई सवाल खड़े होते हैं।

बेहतर होगा यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी किसी अन्य को दे दें। क्योंकि इस नाकामी से सरकार की छवि खराब हो रही है और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है।

विजया पाठक

सुप्रीम फैसले से मध्यप्रदेश में
पंचायत चुनाव

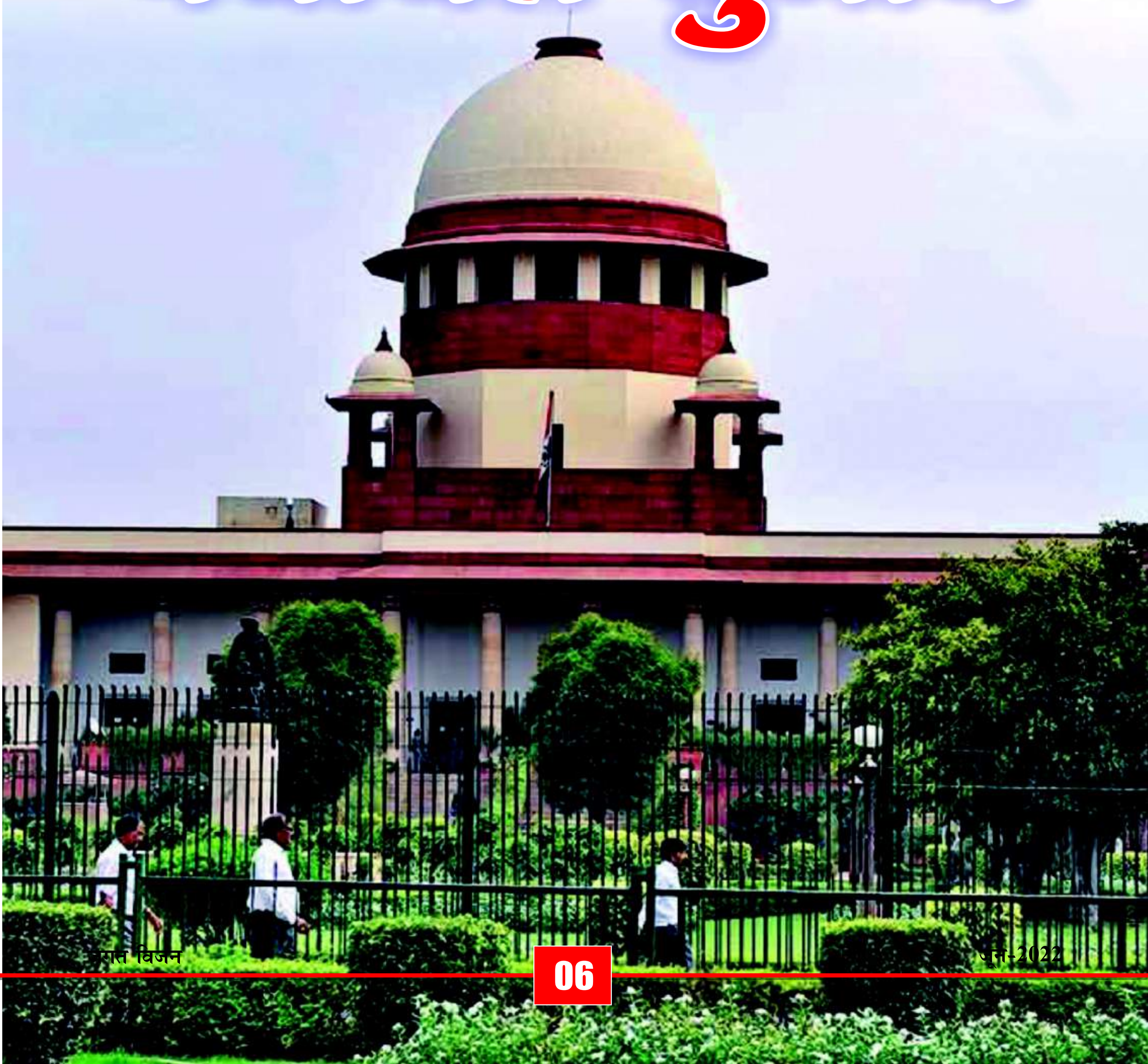

क्या आरक्षण से हुआ है ओबीसी के साथ अन्याय?

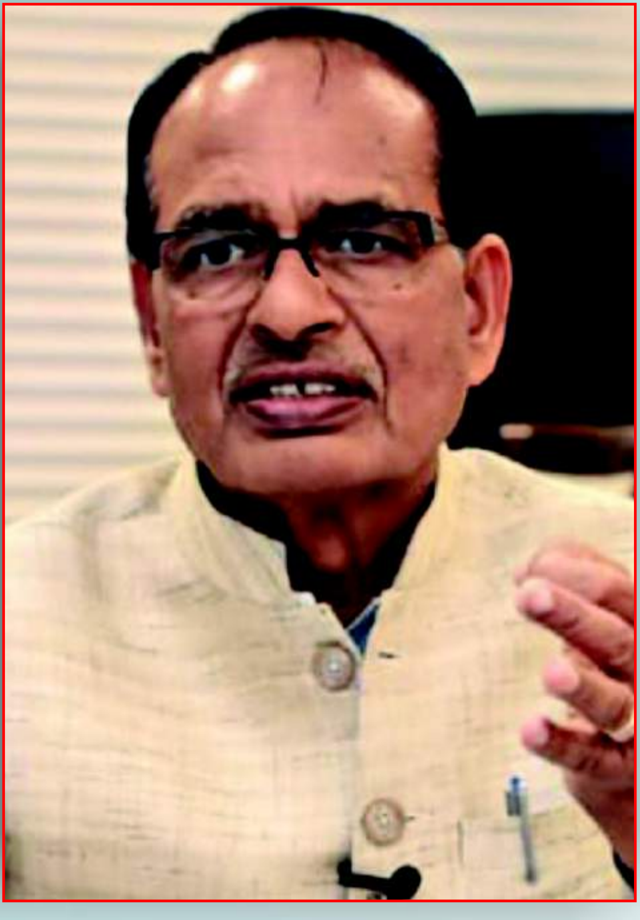

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ का पलड़ा भारी

"भारत के संविधानजनक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का अधिकार गरीब शोषित वर्ग को दिया ताकि यह वर्ग समाज में आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर अपनी स्थिति अच्छी कर पाये। इसके साथ ही आरक्षण का मूल सिद्धांत यही है कि समाज के इस शोषित वर्ग में रहने वाले गरीब लोग आरक्षण का लाभ लेकर समाज को सुदृढ़ कर सके। लोकसभा में टीएमसी सांसद नुसरतजहां द्वारा दिनांक 30.03.2022 को भारत में गरीबी से संबंधित प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार की योजना मंत्रालय ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का वर्गवार प्रतिशत दिया, जिसमें मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ओबीसी समाज की 24.7 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और प्रदेश के शहरी क्षेत्र के पिछड़ो में 21.2 प्रतिशत गरीबी सीमा के नीचे आती है। इन आंकड़े से भारत में मध्यप्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग गरीबी रेखा से नीचे रहने में देश में 5वें स्थान पर आता है। एक तरफ यह दावा किया जाता है कि मध्यप्रदेश में भाजपा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और ताजा मामला कविता पाटीदार को ओबीसी वर्ग से आने के कारण ही राज्यसभा भेजा और तो और ओबीसी समाज से कविता पाटीदार वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी महामंत्री, युवा मोर्चा प्रभारी और अब राज्य सभा। इस पर भाजपा की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जहां एक ही प्रभावशाली परिवार से आने वाली महिला के पास 3-4 पद से पार्टी ने उपकृत किया। पर सच्चाई यह है कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग की करीब 25 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। वास्तव में इतने सालों में प्रदेश में 5-10 ही ओबीसी वर्ग के परिवारों का भला हुआ। इस शासनकाल में किसी के बेटे ने बड़ी डेरी स्थापित की और विदेश पढ़ने चला गया। एक ओबीसी वर्ग से आने वाले कारोबारी जो कि 17 साल पहले मामूली व्यवसायी थे, आज प्रदेश के बड़े बिजनेस टाईकून बन गये है और तो और दोस्त के बच्चे के लिये अपने प्लॉट पर डेरी के साथ 5 सितारा बेडमिन्टन कोर्ट तक बना दिया। ऐसे में इन नेताओं को समाज की गरीबी कहां से दिखाई देगी जबकि इनके पुत्र और रिश्तेदार राजसी ठांट-बांट से रहते हैं। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटों का कम होना वह गरीब-शोषित, पिछड़े जो कि इस आरक्षण का लाभ लेकर समाज में उपर आ सकते थे भाजपा ने आरक्षण पर छिछलेदार राजनीति करके उनकी उम्मीदों पर जोरदार प्रहार किया है। आज मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर खींचतान मची है। कुल मिलाकर सरकार बैकफुट में चली गई है। और जाए भी क्यों नहीं। पिछड़ों की राजनीति करने के चक्कर में उसे मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण में ओबीसी वर्ग की सीटें पिछली बार से घटीं है। कुल मिलाकर सिर्फ नगर पालिकाओं चुनाव से पूर्व की 25 सीटों से 28 सीटें हो गई अन्यथा चुनाव में ओबीसी आरक्षण 26 से 60 प्रतिशत तक घट गया है। अब बात आती है कि इसमें

विजया पाठक

प्रदेश में पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 18 मई 2022 को प्रदेश में पंचायत चुनावों में आरक्षण की अनुमति दी थी। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की अनुमति देने के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा ने खूब मिठाई बांटी और जश्न मनाया। संदेश साफ था कि बीजेपी ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी

गलती किसकी है भाजपा या कांग्रेस। 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो उसने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के लिए 2019 में अध्यादेश लाई जिसमें तीन पहलू प्रमुख थे। 1. परिसीमन 2. रोटेशन और 3. ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण। 2020 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उसने अध्यादेश को खत्म कर दिया और चुनावों को टाल दिया। फिर 2022 में बीजेपी सरकार ने 2014 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा की। जिस पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुये कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब भाजपा ने कांग्रेस के विरोध और 27 प्रतिशत आरक्षण नही देने के कारण पिछड़ा वर्ग के वोटबैंक खिसकता देखा तो आनन–फानन में ओबीसी आरक्षण 35 प्रतिशत देने के साथ चुनाव कराने की अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और तुरंत बिना आरक्षण के साथ चुनाव कराने के निर्देश दिये। इसके बाद भाजपा सरकार और संगठन पर मानों न्यूक्लियर बम गिर गया। आनन–फानन में बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसमें उसने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण के साथ चुनाव कराने की गुहार की, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव करवाने के आदेश दिये। इस आदेश के साथ ही भाजपा संगठन सरकार ने इसे ओबीसी वर्ग के हितैषी रूप में प्रचारित कर जश्न मनाया जबकि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटें पिछले चुनाव से 26-60 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। आखिर ओबीसी वर्ग के साथ हुई इस नाइंसाफी का असली गुनहगार कौन है? अगर भाजपा सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार के लाये अध्यादेश को खत्म नही करती और अध्यादेश के हिसाब से पारित परिसिमन, रोटेशन भी अपनाती तो कुल सीटे 35 प्रतिशत तक बढ़ जाती जिससे ओबीसी के साथ सवर्ण, अनुसूचित जाति–जनजाति (एससी–एसटी) सबकी सीटें बढ़ जाती है। वास्तव में कुल आरक्षण को देखा जाये तो वह पहले के 14 प्रतिशत से कम रहा है। ऐसे में ओबीसी वर्ग से आने वाले उन 25 प्रतिशत गरीब शोषित वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। पिछली बार के पंचायत चुनावों में जनपद अध्यक्ष की कुल 56 सीटें थी जो इस बार आरक्षण के बाद 30 रह जाएंगी यानी पिछली बार से 47 प्रतिशत कम, पिछली बार 168 जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे जो इस बार 102 तक सिमट जायेंगे यानी पिछली बार से 40 प्रतिशत कम। ऐसा ही ओबीसी वर्ग से पिछले चुनावों में 1280 जनपद सदस्य चुने गए थे जो इस बार 771 होंगे। मतलब 40 प्रतिशत कम और सरपंच में पिछले बार के चुनाव में 4023 विजयी रहे थे जो इस बार सिर्फ 2985 होंगे यानी पिछले पंचायत चुनावों से 26 प्रतिशत कम पिछड़े वर्ग के सरपंच होंगे। ऐसे में भाजपा ने ओबीसी वर्ग को आगामी चुनावों में बेवक्कूफ बना दिया है।

है। पर वास्तव में सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा धोखा दिया है। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायतों में पिछड़े वर्ग को ज्यादा आरक्षण को लेकर चली राजनीति और कानूनी दांव पेंच का लुब्बोलुआब यह है कि प्रदेश में अब ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहे हैं लेकिन चुनाव का मुख्य मुद्दा ओबीसी आरक्षण ही है। मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा और कांग्रेस ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप

20 साल से सत्ता के फोकस से बाहर रहे पिछड़ों के आरक्षण पर इस बार मध्यप्रदेश में घमासान मचा हुआ है। मध्यप्रदेश में इनकी आबादी 49 प्रतिशत है लेकिन मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में इस हिसाब से कभी जगह नहीं मिली। कभी अधिकतम 28 प्रतिशत मंत्री ओबीसी के रहे हैं। वर्तमान में 25 प्रतिशत है जबकि दावे 27 से लेकिन 35 प्रतिशत तक आरक्षण देने की हो रही है। पर सरकार में हिस्सेदारी में इसे हमेशा पिछड़ा ही रखा।

क्या सरकार ने जानबूझकर पिछड़ा वर्ग का हक छीना?

लगा रहे हैं। फैसला जनता करेगी कि उसके लिए असली मुद्दा क्या है? ओबीसी आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी या स्थानीय विकास? हालांकि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मात खाने के बाद शिवराज सरकार ने इस मुद्दे को राज्य में ओबीसी को न्याय दिलाने के संकल्प में तब्दील करने का ऐलान किया है तो विपक्षी कांग्रेस इसे राज्य में ओबीसी हितों की उपेक्षा के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। दरअसल इस बार आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग की सीटें पिछले चुनाव से 26.47 प्रतिशत तक घट जाएगी। आंकड़ों में सरकार ने तो 35 प्रतिशत का लॉलीपॉप दिया पर वास्तविकता में इस बार ओबीसी वर्ग के कम प्रत्याशी चुने जाएंगे। पिछली बार के पंचायत चुनावों में जनपद अध्यक्ष की कुल

पुरानी जनगणना पर बनी रिपोर्ट से आया फैसला, भविष्य में हो सकता है विवाद

राज्यों में जातिगत आंकड़े अलग-अलग हैं। ऐसे में तुलना गलत है। हालांकि ओबीसी आरक्षण में मूल तथ्य यही है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन हो। अगर इसका पालन करने पर आरक्षण की अनुमति दी गई है तो अन्य राज्यों को भी राहत मिल सकती है। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज सिस्टम बना। उसके अनुसार मप्र में 1994 से एससी को 16, एसटी को 20 और ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिला था। बाद में इसे बढ़ाकर 27 फीसदी और 35 फीसदी तक करने के ऐलान से विवाद शुरू हुआ। कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण की जगह 50 फीसदी कैप के साथ होने जा रहे हैं जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 10 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों को ट्रिपल टेस्ट के अनुसार डायनमिक नहीं मान सकते। अन्य प्रभावित वर्ग द्वारा कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा- निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण होने से दुविधा के साथ ओबीसी और अन्य वर्गो के भीतर विवाद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार जैसे अन्य राज्य भी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव की मांग कर सकते हैं। इससे ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला गड़बड़ा सकता है।

56 सीटें थी जो इस बार आरक्षण के बाद 30 रह जाएंगी यानी पिछली बार से 47 प्रतिशत कम, पिछली बार 168 जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे जो इस बार 102 तक सिमट जायेंगे यानी पिछली बार से 40 प्रतिशत कम। ऐसा ही ओबीसी वर्ग से पिछले चुनावों में 1280 जनपद सदस्य चुने गए थे जो इस बार 771 होंगे। मतलब 40 प्रतिशत कम और सरपंच में

कोर्ट के फैसले के बाद अब

मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मप्र नगर पालिका नियम 1994 एवं मप्र नगरपालिका नियम 1999 में संशोधन होगा। साथ ही नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क), 29 (ख), एवं मप्र नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 एवं 11 (क) में भी संशोधन करना होगा। नगरीय निकायों में महापौर के कुल पद 16 हैं। अभी आरक्षण में अजा मुरैना (महिला), उज्जैन। अजजा सिर्फ छिंदवाड़ा। ओबीसी में भोपाल (महिला), सतना, रतलाम और खंडवा (महिला) है। फैसले के बाद अजा, अजजा और ओबीसी मिलाकर कुल 50 प्रतिशत हैं। इसलिए आरक्षण की सीमा लागू होती है तो 08 पद आरक्षित होंगे। अभी 07 हैं। एक पद ओबीसी को जा सकता है। वहीं नगर पालिका में अध्यक्ष के कुल पद 99 हैं। अभी आरक्षण, अजा के लिए 15, अजजा के 06, ओबीसी के 25 पद रिजर्व हैं। फैसले के बाद 50 प्रतिशत की सीमा लागू होने पर नगरपालिका अध्यक्ष पद के 49 पद आरक्षित किए जा सकते हैं। अभी कुल 46 पद रिजर्व हैं। शेष 03 पद ओबीसी को दिए जा सकते हैं। नगर परिषद में अध्यक्ष के कुल पद 292 हैं। अभी आरक्षण, अजा के 46, अजजा के 27, ओबीसी के 73 पद आरक्षित हैं। फैसले के बाद 50 प्रतिशत की सीमा में 146 पद आरक्षित किए जा सकते हैं, जो अभी भी हैं। इसलिए कोई नई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। अभी 07 नवीन नगर परिषद गठित हुई हैं। यहां आरक्षण नए सिरे से होगा। वार्डों में पार्षद के कुल पद 7506 हैं। फैसले के बाद पार्षदों का आरक्षण जिला कलेक्टर ने किया है। आयोग की अनुशंसा मानते हैं तो पहले किया आरक्षण निरस्त करना होगा। फिर 50 प्रतिशत की सीमा लागू करते हुए आरक्षण लागू करना होगा।

17 निकायों में नए सिरे से होगा आरक्षण- मैहर, ईशागढ़, हरदा, अमरकंटक, पसान, मांडव नगरीय निकायों का कार्यकाल 2021 और फरवरी 2022 में पूरा हो गया। बरोदिया कलां व कर्रापुर (सागर), पुनासा (खंडवा), बरगवां (अमलाई), सरई व बरगावां (सिंगरौली), देवरी (रायसेन) नवगठित निकाय हैं। पन्ना, गढ़ाकोटा, मलाजखंड, खुरई की सीमा बढ़नी है। इसलिए इन निकायों में नए सिरे से आरक्षण होगा।

फैसले के बाद .... ओबीसी की यह होगी स्थिति

निकाय	कुल	ओबीसी	सीटें	पहले ओबीसी को कितनी सीटे थीं
नगर निगम	16	26 प्रतिशत	4	2 (14 पर चुनाव)
नगर पालिका	99	29 प्रतिशत	28	13 (64 पर चुनाव)
नगर परिषद	292	26 प्रतिशत	68	40 (209 पर चुनाव)
जिला पंचायत	52	48 प्रतिशत	4	13 (50 पर चुनाव)

पिछले बार के चुनाव में 4023 विजयी रहे थे जो इस बार सिर्फ 2985 होंगे यानी पिछले पंचायत चुनावों से 26 प्रतिशत कम पिछड़े वर्ग के सरपंच होंगे। ऐसे में भाजपा ने ओबीसी वर्ग को आगामी चुनावों में बेवक्कूफ बना दिया है।

ऐसी होगी आरक्षण की तस्वीर

नये सिरे से आरक्षण... ओबीसी को क्या मिलेगा ?

- पहले 56 जनपद अध्यक्ष मिलते थे, अब 30 मिलेंगे।
- 168 जिला पंचायत सदस्य ओबीसी थे, अब 102 होंगे।
- 1280 जनपद सदस्य ओबीसी थे, अब 771 होंगे।
- 4023 सरपंच ओबीसी थे, अब 2985 होंगे।

तीन साल से पद खाली- प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद अध्यक्ष 23012 पंचायतें, 875 जिला पंचायत सदस्य, 6771 जनपद सदस्य और 03 लाख 64 हजार पंच चुने जाने हैं। ये पद बीते 03 साल से खाली पड़े हैं। मप्र में जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो आरक्षण तय किया गया है, उससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को बड़ा नुकसान हो रहा है। साल 2015 में प्रदेश के 32 जिलों में जिपं सदस्यों के लिए 114 सीटें रिजर्व थीं, जो नए आरक्षण के बाद 45 रह गई हैं। 20 जिलों से मिली शुरुआती जानकारी में यह तथ्य स्पष्ट है कि ओबीसी की सीटें और घटेंगी। सभी 52 जिलों में भोपाल और गुना ही ऐसे हैं, जहां ओबीसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। भोपाल में जिपं सदस्य की पहले 3 सीटें थीं, जो यथावत हैं। जनपद अध्यक्ष के श्योपुर, गुना, रतलाम, खरगोन, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, देवास, नीमच, हरदा, उमरिया, आगर मालवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, निवाड़ी, कटनी, मंडला, शहडोल, सीधी और सतना में 131 सीटों के लिए हुए आरक्षण में ओबीसी को 11 सीटें ही मिलीं। जबकि अजा वर्ग को 15 और अजजा को 51 सीटें मिलीं। इन जिलों में 50 प्रति. आरक्षण के हिसाब से पहले से ही 66 जनपद अध्यक्षों के पद एससीएसटी के लिए थे। लिहाजा ओबीसी की सीटें घटकर 11 रह गईं, जो कुल 131 सीटों के 0 से 35 प्रति. के दायरे में 8 से 9 प्रति. ही बनता है।

सरपंच आरक्षण में ओबीसी को 11.29 प्रति. सीटें- 52 जिलों में सरपंच की 23012 सीटें थीं। इनमें से भोपाल, राजगढ़, बैतूल, रतलाम, आगर मालवा, अलीराजपुर, कटनी, बुरहानपुर, निवाड़ी, मंडला, शहडोल, सीधी, सतना में 7718 सरपंच के लिए हुए आरक्षण में एससी-एसटी को 4046, ओबीसी को 872 सीटें मिलीं। ये कुल सीटों का 11.29 प्रतिशत रहा। अनारक्षित को 2800 सीटें मिलीं। इस हिसाब से 23012 सरपंचों में ओबीसी को करीब 2500 सीटें मिलेंगी।

सिर्फ महापौर के सीधे चुनाव वाले अध्यादेश को मिली मंजूरी- इस बीच, महापौर के सीधे चुनाव (प्रत्यक्ष) वाले अध्यादेश को रायपाल ने मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के आने से अब निकाय चुनावों की तस्वीर साफ हो गई कि महापौर को जनता चुनेगी और पालिका-परिषद अध्यक्ष कौन होगा, यह पार्षद तय करेंगे। करीब 22 साल बाद निकाय चुनाव का पैटर्न बदला गया है। साल 1999 तक अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षद ही महापौर, पालिका अध्यक्ष और परिषद अध्यक्ष को चुनते थे। इसके बाद इन सभी पदों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ। जनता ने निकायों के मुखिया का चयन किया। अब 2022 में फिर पैटर्न बदला गया है।

20 साल से सत्ता के फोकस से बाहर रहे पिछड़ों के आरक्षण पर इस बार मध्यप्रदेश में घमासान मचा हुआ है। मध्यप्रदेश में इनकी आबादी 49 प्रतिशत है लेकिन मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में इस हिसाब से कभी जगह नहीं मिली। कभी

सत्य की जीत, पिछड़ों को न्याय मिला-शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सत्य की जीत हुई है। कमलनाथ आज ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिला पाए? कांग्रेस ओबीसी को वोट बैंक मानती है और वह ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। उसकी महाराष्ट्र सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए हैं और वहां नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। कमलनाथ को 27 फीसदी आरक्षण देने के बाद अदालत में सरकार का पक्ष नहीं रखने का जवाब देना चाहिए क्योंकि उसके कारण कोर्ट ने स्थगन दिया। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ चाहते हैं। कांग्रेस ने पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस ही सर्वोच्च न्यायालय में गई थी जिसके कारण ही यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे। हमने हर संभव प्रयास किया। कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमिशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया तथ्य जुटाए व्यापक सर्वे किया। उन तथ्यों के आधार पर सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई हमने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट मांगी और हमने निकायवार रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश की। जिन्होंने षड्यंत्र रचा बुरी तरह से पराजित हुए हैं। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। कांग्रेस को आरक्षण की चिंता नहीं थी। भाजपा को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन मुझे कहते हुए संतोष है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। जिन्होंने षड्यंत्र रचा था वह पराजित हुए हैं। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। मैं सच में आज भावनात्मक रूप से आपको बता रहा हूं, कोई पूछे कि 16 साल के मुख्यमंत्री काल में कौनसा सबसे बड़ा काम, जिसने मेरे दिल को सुकून दिया? तो मैं कहूंगा ओबीसी के आरक्षण के साथ हम चुनाव करा पाए।

अधिकतम 28 प्रतिशत मंत्री ओबीसी के रहे हैं। वर्तमान में 25 प्रतिशत है जबकि दावे 27 से लेकिन 35 प्रतिशत तक आरक्षण देने की हो रही है। पर सरकार में हिस्सेदारी में इसे हमेशा पिछड़ा ही रखा। हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले से ही था, फिर जीत किस बात की। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच भाजपा और कांग्रेस ने पिछड़ों को सरकार में कितनी हिस्सेदारी दी? इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत का ये घमासान पिछड़ों को सत्ता देने की छटपटाहट है या चुनावी स्टंट?

ओबीसी को पूरा लाभ नहीं मिलेगा-कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री

भाजपा ने कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस सही तरीके से पेश नहीं किया। हम इस बात का विरोध करते हैं। हमारी सरकार द्वारा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए गए आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ओबीसी वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है जबकि उनकी सरकार ने 27 फीसदी रिजर्वेशन दिलाने का कानून बनाया था। आरक्षण के नाम पर ओबीसी को जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक को केवल साढ़े नौ से साढ़े 12 फीसदी रिजर्वेशन दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। वे कह रहे थे कि 35 प्रतिशत व 30 फीसदी रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल तक कोई प्रयास नहीं किये, कोई कानून नहीं लाये, संविधान में संशोधन हो सकता था कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि आगामी आने वाले निकाय चुनाव में हम 27 प्रतिशत टिकट पिछड़े वर्ग को देंगे। नए आरक्षण से ओबीसी सीटें आधी रह गई हैं। भाजपा सीधे चुनाव कराने से डरती है और खरीद-फरोख्त कर चुनाव जीतना चाहती है। ये पब्लिक का सामना करने से डर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर चुनाव पब्लिक से हो। सरकार ने ऐसी प्रणाली बनाई है कि जिससे उन्हें खरीदने का, सौदा करने का, दबाने का मौका मिले और पंच पार्षदों को कैसे खरीदा जाए कैसे दबाया जाय। बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण से वंचित किया है। आज सरकार जो जश्न मना रही है वह दिखावटी जश्न है। हक़ीकत में आरक्षण से ओबीसी वर्ग को बहुत नुकसान हुआ है। आंकड़ों से देखा जाए तो नुकसान बड़ा है। आगामी चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हम शुरू से ही ओबीसी वर्ग के हितैषी रहें है और रहेंगे। प्रयास होगा कि अधिक से अधिक टिकिट इसी वर्ग को मिले।

पिछड़ों को लेकर इस छटपटाहट का गणित बुना था 2018 में कमलनाथ सरकार ने। कमलनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में 28 फीसदी पिछड़ों को जगह दी। 29 मंत्रियों में 08 पिछड़ों को स्थान मिला। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाकर 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत कर दिया। इससे पिछड़ों की बात फिर सियासत के केंद्र में आ गई। शिवराज के वर्तमान मंत्रिमंडल में 31 मंत्रियों में सामान्य वर्ग के 16, ओबीसी वर्ग के 08 हैं। सरकार खोने के बाद जब शिवराज की सत्ता में वापसी हुई तो शिवराज ने भी ओबीसी को ज्यादा तवजो दी। 04 कार्यकाल में इस बार सबसे ज्यादा 25 फीसदी ओबीसी को मंत्री

ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी-दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री

हमने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया था, जो पिछले चुनाव में मिला था। यदि सरकार पिछली व्यवस्था के अनुसार चुनाव कराती तो 27 फीसदी आरक्षण मिलता, लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। ट्रिपल टेस्ट के जरिए बीजेपी नेता आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आने वाले समय में यदि इनकी सरकार आती है तो एससी-एसटी का ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों पर चलती है और भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण करती है। राजीव गांधी ने पंचायती राज का सपना संजोया। 73 और 74वें संविधान में संशोधन कर पंचायती राज की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश में मेरे कार्यकाल में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए जिसमें जनपद अध्यक्ष, सरपंच, जिला जनपद अध्यक्ष बनाए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके, गांव के लोगों को उनका हक मिल सके। चुनाव नियत, नीति और मानसिकता पर निर्भर करता है। भाजपा आज पंचायत के चुनाव नहीं होने देना चाहती है। ओबीसी आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, आने वाले समय में अजा और अजजा वर्ग के आरक्षण को भी खत्म करने की उसकी योजना है। हमारी सरकार ने आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें ओबीसी वर्ग को ज्यादा लाभ होता, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया। अब आगामी चुनावों में इस वर्ग की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ेगी।

पद दिए। 2013 की शिवराज कैबिनेट में 35 सदस्य थे। सबसे ज्यादा 18 सामान्य वर्ग के थे। पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की संख्या 07 थी। 2008 में भी शिवराज सरकार में 34 मंत्री थे। इसमें पिछड़े वर्ग के 06 और एससी के 07 थे। एसटी के 05 मंत्री थे। जबकि सामान्य वर्ग के मंत्रियों की संख्या 16 थी।

कमलनाथ सरकार की बात करें तो 29 मंत्रियों में 08 पिछड़े और 11 एसटी-एससी के थे। कमलनाथ सरकार में 29 मंत्री थे। इनमें सामान्य वर्ग से 10 और ओबीसी के 08 मंत्री थे। एससी से 05 और एसटी कैटेगरी के 06 मंत्री थे। कमलनाथ ने वर्तमान शिवराज सरकार की अपेक्षा ओबीसी को ज्यादा तरजीह दी थी। पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी का यह सवाल आरक्षण की सियासत से ही उपजा है। लेकिन ये भी साफ है कि आबादी में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा रखने वाले

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ का पलड़ा भारी

बीजेपी का संकल्प पूरा हो गया है-वी.डी.शर्मा, अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा

कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को कुछ जगहों पर 30 फीसदी तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद कमलनाथ के पेट में दर्द और बढ़ गया होगा, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ ना पहुंचने देने की थी। हमें गर्व है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हमारा संकल्प था वह पूरा हो गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलने से रोकने का हर प्रयास किया। कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि प्रदेश की ओबीसी आबादी को आरक्षण का लाभ मिल सके, इसीलिए वे बार-बार कोर्ट जाते थे। हमारी सरकार ने जो अथक प्रयास किया, संकल्प लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया है। हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास करता है। कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के अंदर 50 फीसदी की लिमिट की बात कही है। लेकिन, ओबीसी को कहीं-कहीं 27 प्रतिशत से भी यादा आरक्षण मिलेगा। इसमें कई टेक्निकल बातें हैं, जो जल्द सामने आएंगी। सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर आरक्षण तय होगा। कहीं आरक्षण 25 फीसदी भी होगा। भाजपा कांग्रेस से यादा टिकट ओबीसी को देगी।

पिछड़े सत्ता में 20 से 22 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं पा सके। जबकि 16 प्रति दलित और 20 फीसदी आदिवासी मंत्रिमंडल में पिछड़ों से कभी कमतर नहीं रहे।

ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान में बीजेपी सरकार कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल वर्ष 2018 में जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने पंचायत चुनाव

ओबीसी वर्ग की 26 प्रतिशत सीटें घटने का जिम्मेदार कौन?

कराये जाने से पूर्व प्रदेश में परिसीमन करते हुए सीटों में इजाफा किया। इस इजाफे में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी सीटों को बढ़ाये जाने की तैयारी की थी। लेकिन सत्ता में वापसी करते ही शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय के परिसीमन को रद्द किया और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू रखा। पूर्व की सीटों पर ही 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराये

आरक्षण से कम ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व-अरूण यादव, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्थानीय निकायों के चुनाव में पिछड़ों को केवल 14 प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा। सरकार ट्रिपल टी पर अधूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत कर दी। सरकार ठीक से पक्ष रखती तो पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता। सरकार ने अधूरा डाटा पेश किया है। इससे ओबीसी को फायदा होने की जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक ओबीसी की संख्या बहुत कम हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट का अधूरा डाटा पेश किया गया। अधूरी जानकारी के कारण ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत तक सीमित रह गया। संख्या के अनुपात में 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में पहले ओबीसी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, अब मात्र 4 होंगे। पहले 56 जनपद अध्यक्ष होते थे अब 30 होंगे। पहले 180 जिला पंचायत सदस्य होते थे अब 102 ही रहेंगे। इससे पहले 1270 जनपद सदस्य होते थे अब 791 होंगे। पहले 4295 सरपंच होते थे, अब 2985 रह जाएंगे। जिला, जनपद अध्यक्ष, सरपंचों की जिम्मेदारी छीनकर सचिव, सहसचिव को मालिक बना दिया गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सचिव, सह-सचिव भ्रष्टाचार करता है, नोटिस सरपंच को मिलता है। यह चल रहा है आज की बीजेपी की त्रिस्तरीय पंचायती राज में। पंचायत चुनाव में हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है।

जाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी की। लेकिन काफी विरोध के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव टालने पड़ गये थे और कोर्ट ने राज्य में ट्रिपल टेस्ट से चुनाव कराये जाने के आदेश दिये थे।

एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा से पिछड़ा वर्ग के मन में स्थान बनाया है। वहीं दूसरी तरफ बौखलाकर भाजपा नेता गलत बयानी में उतर आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया, क्योंकि वो अदालत गए थे। यहां सवाल उठता है कि बीजेपी ने 2019 का परिसीमन रद्द कर 2014 के परिसीमन के साथ चुनाव कराने की घोषणा ही क्यों की? चुनाव चिन्ह बाटें ही

> ***कमलनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा से पिछड़ा वर्ग के मन में स्थान बनाया है।***

27 फीसदी से 14 प्रतिशत पर सिमट गया आरक्षण- सचिन यादव, पूर्व मंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा था कि प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिले बगैर नहीं हो सकते, लेकिन षड्यंत्र कर सरकार गिराने के बाद उन्होंने ओबीसी वर्ग को हमेशा धोखे में रखा। इस मामले की सही पैरवी नहीं की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला दे दिया, तो मुख्यमंत्री की नींद खुली। इसके बाद रिव्यू पिटिशन लगाई गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की राहत दी। इस पर भी भाजपा के नेता जश्न मनाते हुए यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रयासों से ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला है। जबकि, सच्चाई यह है कि आरक्षण 27 फीसदी मिलना था। वह 14 प्रतिशत पर सिमट गया।

हार पर जश्न मना रही है भाजपा–कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री

सरकार ने 73-74 वां संविधान में संशोधन कर पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया और पंचायतों में तेजी से विकास की शुरुआत हुई। बीजेपी ने ओबीसी के अधिकार छीनने का काम किया, चुनाव से वंचित किया। कांग्रेस सरकार में पंचायतों में गौशाला में बनाई गई, यह सब कांग्रेस की ही देन है। यह फैसला तो उनकी हार है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने निकायों में आबादी के लिहाज से ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही है। लेकिन इस स्थिति में एसटी–एससी का आरक्षण घटेगा। कमलनाथ सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था। इसी आधार पर 2019 में परिसीमन किया था। भाजपा सरकार ने इस परिसीमन को रद्द कर दिया। सारी गफलत इसी के बाद निर्मित हुई। सरकार सच में ओबीसी की हितैषी होती तो वह 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश ले आती।

क्यों? जो सरपंच और अन्य पदों के उम्मीदवार जिन्होंने पंचायत चुनाव के लिए चुनाव सामग्री बनवा चुके थे उनकी भरपायी कौन करेगा? इसके मद्देनजर ही सरकार पंचायत चुनाव से बच रही थी। अब इस मामले में भाजपा पूरी तरह फंसती नजर आयी और पिछड़े वर्ग का जो गुस्सा चुनाव पर निकलना तय है। इस बात से पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। वहीं नरोत्तम मिश्रा एक कदम और आगे जाकर बोल दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आने के

ओबीसी को हकों से वंचित किया-विवेक तन्खा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील

ओबीसी को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिला। सरकारी नौकरियों में तो यह पहले से लागू है। उल्टे ओबीसी राज्य में 27 फीसदी आरक्षण के हकदार थे, जिससे उन्हें वंचित किया गया है। सरकार कोर्ट में सही तरीके से अपने पक्ष को नहीं रख पायी। यदि सही पक्ष रखती तो स्थिति अलग होती और ओबीसी वर्ग को इसका लाभ मिलता। कांग्रेस सरकार ने इससे पहले कोर्ट में भी तथ्यात्मक आंकड़ें पेश किये थे।

बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर-कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री

पंचायती राज की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। भाजपा दोमुंही बातें करती है, जो बोलती है वह करती नहीं। उसके नेताओं के कथनी और करनी में अंतर है। झूठ बोलना और नारे लगाना भाजपा का काम है। 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने जो काम किए वह प्रदेश की जनता के सामने है। ओबीसी आरक्षण मामले में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यदि सरकार वाकई में इस वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती तो इस तरह से ओबीसी के साथ अन्याय नहीं करती।

राजनीतिक रोटियां सेंक रही है बीजेपी-विभा पटेल, अध्यक्ष, प्रदेश महिला कांग्रेस

भाजपा ने सत्ता, हवस और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के अलावा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने विकेंद्रीकरण की राजनीति कर पंचायतों को सुदृढ और मजबूत बनाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिकार मिले। प्रदेश कांग्रेस गांव गांव में अपने सदस्यों की तैनाती कर पंचायत के चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही ओबीसी की हितैषी रही है। वह चाहे किसी भी प्रकार के चुनाव रहे हो, कांग्रेस ने हर चुनाव में इस वर्ग को तवज्जों दी है।

कारण बनाया। अब इनको कौन समझाए कि यहां बात पंच-सरपंच की हो रही है, ना कि विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री के चुनाव की हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता बचाव की मुद्रा में आ गये। एक तरफ मुख्यमंत्री ने अपना विदेश दौरा रद्द कर कानूनी राय ली। मामले की गंभीरता को देखते हुये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया। क्योंकि मामला देश के 40 प्रतिशत वोट बैंक से जुड़ा है।

रिव्यू पिटीशन में सरकार को राहत का आसार काफी कम

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मंत्री व पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में जो जानकारी कोर्ट को दी गई, उससे कोर्ट पूरी तरह से असहमत दिखी। सरकार ने 49 प्रतिशत आबादी बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मप्र में 35 प्रतिशत आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही कर दी। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई और कोर्ट के सामने पिछड़ा वर्ग आयोग और शिवराज सरकार की अधूरी जानकारी की पूरी कलई खुल गई है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका को भी कोर्ट ने संदेह की स्थिति से देखा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि राय में पहले की तरह तय नियमों के साथ शीघ्र पंचायत चुनाव कराये जाये। जबकि किसी भी राय में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी होती है जिसकी जिम्मेदारी राय में सुचारू ढंग से समय-समय पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है।

सरकार ने 49 प्रतिशत आबादी बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मप्र में 35 प्रतिशत आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही कर दी।

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया।

बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव बीपी सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा के करीबी हैं, उन्हें जानबूझकर ही मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद शिवराज सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया था ताकि वे सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लें। जब पंचायत चुनाव पर घमासान ही करना था तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराये जाने को लेकर पहले आदेश क्यों जारी किये। आयोग के आदेश का परिणाम ही था कि लोगों ने अपने चुनाव चिन्ह और चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी।

2015 में 32 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो 114 सीटें आरक्षित थी वह अब 45 रह गई हैं।

आरक्षण से जिलों में कम होगीं ओबीसी वर्ग की सीटें-प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो आरक्षण तय किया गया है उससे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान हो रहा है। 2015 में 32 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो 114 सीटें आरक्षित थी वह अब 45 रह गई हैं। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति बनने वाली है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत चुनावों में भी सरपंच आरक्षण में ओबीसी को लगभग 12 प्रतिशत कम सीटें मिलेगी। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन गया है। कांग्रेस चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ न्यायालय गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बजाय

ओबीसी आरक्षण पर आदेश दे दिया। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग को उन सीटों पर निर्वाचन फिलहाल रद्द करना पड़ा है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की सीमा को गलत बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि कुल आरक्षण पचास फीसदी से ज्यादा हो रहा है। इसलिए ओबीसी आरक्षण वाली सीटों की संख्या कम की जाए। न्यायालय ने महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें राज्य स्तरीय आयोग के गठन करने का उल्लेख है। यह आयोग इस वर्ग की आबादी के हिसाब से सिफारिश सरकार को देगा। उसी आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा।

इसके बाद प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक साधने की होड़ मच गई और पंचायत चुनावों पर हो रही राजनीति ओबीसी आरक्षण पर केन्द्रित हो गई। ओबीसी आरक्षण वोट बैंक के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए दोनों पार्टियां लगातार इसके पक्ष में तर्क दे रही हैं।

बीजेपी सरकार ने रद्द किया 2019 का परिसीमन

21 नवंबर 2021 को शिवराज सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी थी। जिसके तहत सरकार ने साल 2019 के परिसीमन को रद्द करते हुए 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया। इसके चलते आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनने के बाद रोटेशन के बजाय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई और ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्टे कर दिया।

पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की यह सीमा लंबे समय से चली आ रही थी। यदि कांग्रेस न्यायालय में मामला नहीं ले जाती तो शायद यह चलता रहता। भाजपा इसे ही भुनाना चाहती है। बड़ी संख्या में ओबीसी आबादी को देखते हुए भाजपा आरक्षण के खिलाफ कतई नहीं दिखना चाहेगी। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने धोखा देकर ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कराया है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ छलपूर्वक सरकार ने पाप किया है। जबकि पूर्व में कांग्रेस सरकार रहते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत दिया था, जो कि भाजपा को नागगुजरी और अपना चाल चलते हुए षडयंत्रपूर्वक खराब पैरवी कर ओबीसी आरक्षण को घटाकर 14 प्रतिशत करा दिया और उसी का जश्न मना रहे हैं। यह दुर्भाग्य पूर्ण है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने मतदाता सूची का परीक्षण कर दावा किया था कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। फिर भी सरकार अन्य पिछड़ा के साथ नाइंसाफी कर रही है। अब इसका जबाव आने वाले नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा।

चुनाव कराने का 10 मई सुप्रीम कोर्ट का आदेश- मध्यप्रदेश में पंचायत और स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में हर 05 साल के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था है, जिहाला चुनावों में देरी नहीं की सकती। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की

जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण का समेकित प्रतिवेदन

क्र.	जिले का नाम	जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	प्रवर्गवार निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की संख्या			
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (सामान्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्योंपुर	11	2	3	0	6
2	मुरैना	20	4	0	6	10
3	भिण्ड	21	5	0	5	11
4	ग्वालियर	13	3	1	2	7
5	शिवपुरी	25	5	4	3	13
6	गुना	18	3	4	2	9
7	अशोकनगर	11	2	1	2	6
8	दतिया	10	3	0	2	5
9	देवास	18	3	4	2	9
10	रतलाम	16	2	6	0	8
11	शाजापुर	13	3	0	3	7
12	आगर मालवा	10	3	0	2	5
13	मन्दसौर	17	3	0	5	9
14	नीमच	10	1	1	3	5
15	उज्जैन	21	7	1	2	11
16	इन्दौर	17	3	3	2	9
17	धार	28	2	18	0	8
18	झाबुआ	14	0	13	0	1
19	अलिराजपुर	13	1	12	0	0
20	खरगौन	26	3	12	0	11
21	वडवानी	14	1	11	0	2
22	खण्डवा	16	2	7	0	7
23	बुरहानपुर	10	1	4	0	5
24	भोपाल	10	2	0	3	5
25	सीहोर	17	4	2	2	9
26	रायसेन	18	3	3	3	9
27	राजगढ	18	4	1	4	9
28	विदिशा	19	4	1	4	10
29	बैतूल	23	2	12	0	9
30	होशंगाबाद	15	2	3	2	8
31	हरदा	10	2	4	0	4
32	सागर	26	5	3	5	13
33	दमोह	15	3	2	2	8
34	पन्ना	15	3	3	1	8
35	छतरपुर	22	5	1	5	11
36	टीकमगढ	17	4	1	3	9
37	निवाडी	10	2	0	3	5
38	जबलपुर	17	2	5	1	9
39	कटनी	14	2	4	1	7
40	नरसिंहपुर	15	3	2	2	8
41	छिन्दवाडा	26	3	12	0	11
42	सिवनी	19	2	7	0	10
43	मण्डला	16	1	10	0	5
44	डिण्डोरी	10	1	7	0	2
45	बालाघाट	27	2	6	5	14
46	रीवा	32	5	5	6	16
47	शहडोल	14	1	7	0	6
48	अनूपपुर	11	1	6	0	4
49	उमरिया	10	1	5	0	4
50	सीधी	17	2	5	1	9
51	सिंगरौली	14	2	5	0	7
52	सतना	26	5	4	4	13
	योग	875	140	231	98	406

जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण के बाद की स्थिति है। कुल 875 में से ओबीसी को केवल 98 सीटों पर आरक्षण मिला है।

जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण का समेकित

क्र.	जिले का नाम	जिले में जनपद पंचायतों की कुल संख्या	जनपद पंचायत में अध्यक्ष पदों का प्रवर्गवार आरक्षण की संख्या			
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (सामान्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्योपुर	3	0	1	0	2
2	मुरैना	7	1	0	2	4
3	भिण्ड	6	1	0	2	3
4	ग्वालियर	4	1	0	1	2
5	शिवपुरी	8	2	1	1	4
6	गुना	5	1	1	0	3
7	अशोकनगर	4	1	0	1	2
8	दतिया	3	1	0	0	2
9	देवास	6	1	1	1	3
10	रतलाम	6	1	2	0	3
11	शाजापुर	4	1	0	1	2
12	आगर मालवा	4	1	0	1	2
13	मन्दसौर	5	1	0	1	3
14	नीमच	3	0	0	1	2
15	उज्जैन	6	2	0	1	3
16	इन्दौर	4	1	1	0	2
17	धार	13	0	12	0	1
18	झाबुआ	6	0	6	0	0
19	अलिराजपुर	6	0	6	0	0
20	खरगौन	9	1	7	0	1
21	वडवानी	7	0	7	0	0
22	खण्डवा	7	1	3	0	3
23	बुरहानपुर	2	0	1	0	1
24	भोपाल	2	0	0	1	1
25	सीहोर	5	1	1	0	3
26	रायसेन	7	1	1	1	4
27	राजगढ	6	1	0	2	3
28	विदिशा	7	1	0	2	4
29	बैतूल	10	1	7	0	2
30	नर्मदापुरम	7	1	2	0	4
31	हरदा	3	0	1	0	2
32	सागर	11	2	1	2	6
33	दमोह	7	1	1	1	4
34	पन्ना	5	1	1	0	3
35	छतरपुर	8	2	0	2	4
36	टीकमगढ	4	1	0	1	2
37	निवाडी	2	0	0	1	1
38	जबलपुर	7	1	2	0	4
39	कटनी	6	1	2	0	3
40	नरसिंहपुर	6	1	1	1	3
41	छिन्दवाडा	11	1	6	0	4
42	सिवनी	8	0	6	0	2
43	मण्डला	9	0	9	0	0
44	डिण्डोरी	7	0	7	0	0
45	बालाघाट	10	1	4	1	4
46	रीवा	9	2	1	1	5
47	शहडोल	5	0	4	0	1
48	अनूपपुर	4	0	4	0	0
49	उमरिया	3	0	2	0	1
50	सीधी	5	1	1	0	3
51	सिंगरौली	3	1	1	0	1
52	सतना	8	1	1	1	5
योग		313	41	115	30	127

जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की स्थिति है। इसमें कुल 313 जनपद पंचायतों में ओबीसी को केवल 30 पदों पर लाभ मिला है।

अधिसूचना जारी करने के चुनाव आयोग को निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी की पक्षधर हैं, वो सभी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र हैं।

शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ सरकार का फैसला- शिवराज सरकार ने 21 नवंबर 2021 को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लाकर कमलनाथ सरकार के समय 2019 में हुए पंचायत के परिसीमन (डिलिमिटेशन) और आरक्षण को समाप्त कर दिया था। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि यदि परिसीमन एक साल के भीतर लागू न हो तो मध्यप्रदेश पंचायत एक्ट के अनुसार वह स्वतही समाप्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 213 क्लॉसज 1 की शक्तियों (राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है) का प्रयोग करते हुए शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लाकर मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मूल धारा 9 में नई धारा 2 जोड़ दी है, जिसमें दो बिन्दुओं को जोड़ा गया है। पहला 2019 के परिसीमन को समाप्त करना और रोटेशन प्रयिा का ज़रूरी नहीं होना।

कांग्रेस ने कोर्ट में लगाई थी याचिका- शिवराज सरकार के कमलनाथ सरकार के समय के आरक्षण और परिसीमन रद्द करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जबलपुर हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले से पहले 07 दिसम्बर 2021 को कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने पंचायत चुनाव में रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद

ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का आरक्षण का समेकित प्रतिवेदन

क्र.	विकासखड का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	प्रवर्गवार वार्डो के आरक्षण की सख्या			
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (सामान्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	रतलाम	419	63	159	44	153
2	खरगौन	589	32	436	22	99
3	पन्ना	386	80	71	41	194
4	छतरपुर	559	135	29	112	283
5	देवास	496	98	108	51	239
6	नीमच	243	34	27	60	122
7	रतलाम	419	63	159	44	153
8	आगर मालवा	236	62	6	49	119
9	अलीराजपुर	288	0	288	0	0
10	बुरहानपुर	167	9	115	4	39
11	भोपाल	222	48	9	54	111
12	राजगढ	622	121	24	164	313
13	बैतूल	554	32	358	24	140
14	निवाडी	136	33	7	27	69
15	कटनी	407	49	115	38	205
16	मण्डला	490	0	490	0	0
17	शहडोल	390	6	353	0	31
18	सीधी	400	43	137	40	180
19	सतना	695	128	119	98	350
20	ग्वालियर	263	59	19	53	132
21	बडवानी	409	0	409	0	0
22	छिडवाडा	790	41	505	45	199
23	सिवनी	634	27	422	39	146
24	डिण्डोरी	364	0	364	0	0
25	उज्जैन	609	189	17	97	306
26	दमोह	460	91	72	65	232
27	टीकमगढ	324	85	16	60	163
28	जबलपुर	527	72	151	59	245
29	श्योपुर	236	35	82	27	92
30	मुरैना	478	100	5	130	243
31	भिण्ड	439	99	0	119	221
32	गुना	421	63	80	66	212
33	अशोकनगर	328	71	36	56	165
34	दतिया	290	79	5	60	146
35	शाजापुर	352	89	10	77	176
36	मदसौर	468	98	12	123	235
37	इदौर	334	64	46	56	168
38	धार	763	10	709	0	44
39	झाबुआ	375	0	375	0	0
40	खण्डवा	419	47	198	14	160
41	सीहोर	542	116	73	81	272
42	रायसेन	521	95	96	71	259
43	विदिशा	577	123	31	132	291
44	नर्मदापुरम	428	62	116	60	190
45	हरदा	220	36	78	0	106
46	सागर	765	162	94	123	386
47	नरसिंहपुर	450	77	69	79	225
48	बालाघाट	690	44	243	141	262
49	रीवा	820	140	117	152	411
50	अनूपपुर	277	0	277	0	0
51	उमरिया	236	17	138	0	81
52	सिंगरौली	316	40	121	8	147
	योग	22424	3204	7837	2821	8562

ग्राम पंचायत से सरपंच पद के आरक्षण की स्थिति है। यहां कुल 22424 पंचायतों में ओबीसी को सिर्फ 2821 पदों पर लाभ मिला है।

कांग्रेस की ओर से सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- सुप्रीम कोर्ट पहले पूरे मामले को जबलपुर हाईकोर्ट भेजा है लेकिन वहां से एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसम्बर 2021 को सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग से पूछता है कि क्या ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, राय सरकार के पास कोई ऐसा पुख्ता डेटा नहीं है तो फिर सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर पंचायत चुनाव क्यों करा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ठोस जवाब न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र फैसले (महाराष्ट्र निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं) के संदर्भ में ही एमपी पंचायत चुनाव पर अहम फैसला सुनाता है और मध्यप्रदेश निर्वाचन अयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश देता है कि आप चुनाव जारी रखें, लेकिन जहां ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव होने हैं उनको सामान्य सीट करके चुनाव कराए जाएं, नहीं तो हम चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग 17 दिसम्बर की शाम को ही एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें ओबीसी आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर रोक लगा दी जाती है।

पैंतीस फीसदी ओबीसी आरक्षण की सिफारिश- वहीं सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर पांच मई 2022 को हुई सुनवाई के तुरंत बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता लगभग 48 प्रतिशत है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्प्रदेश में कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मतदाता घटाने पर

सवालों के घेरे में ईवीएम और बेलेट पेपर से होने वाले चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 22985 ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों और 52 जिला पंचायतों के चुनाव होना है। इनमें 3 लाख 64 हजार 309 पंच, 6771 जनपद सदस्य और 875 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में 75 हजार पोलिंग बूथ बनेंगे। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे। वहीं नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम कराये जा रहे है। सवाल में भी उठ रहे है कि अलग–अलग चुनावों अलग–अलग पद्धतियों से क्योंह कराये जा रहे है। गड़बडियां से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता 79 प्रतिशत है। आयोग में अपनी अनुशंसा में कहा राज्य सरकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करे। इसके साथ राज्य सरकार समस्त नगरीय निकायत चुनावों के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए राय सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये।

गौरतलब है कि राज्य

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराये जाने के फैसले के बाद मध्यप्रदेश सरकार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सरकार में एक दूसरे को मिठाईयां खिलाई गई, जश्न मनाया गया। जबकि हकीकत में फैसले से ओबीसी का आरक्षण कम हुआ है।

में पिछले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। लेकिन बीच में सवा साल सत्ता में रही कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 27 फीसदी किया। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायतों में पिछड़े वर्ग को यादा आरक्षण को लेकर चली राजनीति और कानूनी दांव पेंच का लुब्बोलुआब यह है कि प्रदेश में अब ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहे हैं लेकिन चुनाव का मुख्य मुद्दा ओबीसी आरक्षण ही है। मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वद्वंवी भाजपा और कांग्रेस ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फैसला जनता करेगी कि उसके लिए असली मुद्दा क्या है? ओबीसी आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी या स्थानीय विकास? हालांकि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मात खाने के बाद शिवराज सरकार ने इस मुद्दे को राय में ओबीसी को न्याय दिलाने के संकल्प में तब्दील करने का ऐलान किया है तो विपक्षी कांग्रेस इसे राय में ओबीसी हितों की उपेक्षा के रूप में

एमपी में ये है आरक्षण की मौजूदा स्थिति

प्रदेश में एसटी वर्ग के लिए 20 फीसदी, एससी वर्ग के लिए 16 फीसदी और ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी सीटें आरक्षित हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी थीं। जिस कारण कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार चली गई थी। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर चुनाव पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महाराष्ट्र मामले में दिए अपने आदेश का जिक्र किया। जिसके तहत आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट की तीनों शर्तो का पूरा होना जरूरी है। इन शर्तो के तहत राज्य में एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करे और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा तय करे। साथ ही कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सरकार और विपक्ष ने विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई और सर्वसम्मति से इसे पास भी कर दिया गया।

प्रोजेक्ट कर रही है। प्रदेश में कुल 378 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 98 नगर पालिकाएं तथा कुल 23 हजार 59 पंचायतें हैं, जिनमें 51 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 22 हजार 525 ग्राम पंचायतें हैं। कांग्रेस ने नगरीय निकायों और पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने का निर्णय लिया और नगरीय निकायों में महापौरअध्यक्ष के चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की। इन्हीं बदलावों के चलते कांग्रेस ने नियमानुसार 2019 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव टाले और उसके बाद तो उसकी सरकार ही चली गई।

कांग्रेस सरकार और ओबीसी आरक्षण- खास बात यह रही कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन गजट अधिसूचना जारी नहीं की। यानी उस घोषणा का कानूनी दृष्टि से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद कोविड में दो साल निकले। जबकि संविधान के 73 व 74 वें संशोधन के मुताबिक राज्यों को हर पांच साल में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराना जरूरी है। इन्हें अधिकतम 06 माह तक टाला जा सकता है। लेकिन राजनीतिक कारणों से मप्र में ये चुनाव करीब ढाई साल टल चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये बहुप्रतीक्षित चुनाव में होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इनकी अधिसूचना 24 मई 2022 को जारी कर दी। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव मतपत्र पद्धति से होंगे। चुनाव प्रक्रिया 30 जून तक सम्पन्न कर ली जाएगी। इस बीच ओबीसी आरक्षण के सवाल को लेकर कोर्ट में मात खा चुकी मध्यप्रदेश सरकार जनता को समझाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने सर्वोच्च अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर की है। हालांकि इससे कोई खास फर्क

ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की राजनीति

मध्यप्रदेश सरकार ने 02 सितम्बर 2021 को ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया था। इससे पहले प्रदेश में ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण लागू था। इस आदेश में 08 मार्च 2019 से इस आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई। नये नियम के अनुसार प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए कुल 73 प्रतिशत आरक्षण हो जायेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा। अब सवाल है कि ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल मध्यप्रदेश ओबीसी बहुल प्रदेश है और यहां ओबीसी वर्ग का प्रभुत्व है। साथ ही 52 फीसदी मतदाता इसी वर्ग से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 120 से यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का सीधा दखल है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को सत्ता के शीर्ष तक पहुंच बनाने के मौके के रूप में देख रही है। ओबीसी आरक्षण के 27 प्रतिशत तक बढ़ाने को लेकर प्रदेश भर में इसका विरोध हो रहा है। बढ़ाए गए आरक्षण के समर्थन में भी कई संगठन हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ 23 और इसके समर्थन में 35 याचिकाएं दायर की गई। हाईकोर्ट ने कई मामलों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के प्रकरण में साफ दिशा-निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 फीसदी से यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि इस बढे हुए आरक्षण के समर्थकों का यह मानना है कि विशेष परिस्थितियों में कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

क्या है इंदिरा साहनी प्रकरण- इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ 1992 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 नवंबर 1992 को फैसला सुनाया गया था। यह नौ न्यायाधीशों का संयुक्त फैसला था, जिसने आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा जैसे कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को निर्णायक रूप से निर्धारित किया। इस फैसले में कहा गया, आरक्षण सुरक्षात्मक उपाय का एक चरम रूप है, जिसे वंचित समुदायों की सीटों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, भले ही संविधान कोई विशिष्ट

पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस ने राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दिला पाने के लिए शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है तो जवाब में भाजपा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है।

प्रतिबंध नहीं लगाता है, इसके बावजूद किसी भी तरह का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय और प्रावधान के माध्यम से क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी महत्व मिला कि पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होनी चाहिए ना कि पदोन्नति तक।

राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का पालन- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के बावजूद 1992 से मध्यप्रदेश सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे कई रायों ने 50 प्रतिशत आरक्षण की इस सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए हैं। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में राज्यों को आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा को पार करने की अनुमति दी, बशर्ते उनके पास वृद्धि को सही हराने के लिए ठोस वैज्ञानिक तथ्य हों।

50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को चुनौती देने वाला पहला राय तमिलनाडु था, जिसमें पिछड़ी जाति की राजनीति की एक मजबूत राजनीतिक संस्कृति थी। 1993 में राज्य की विधानसभा ने इंद्रा साहनी के फैसले की अवहेलना करने और अपनी आरक्षण सीमा को बनाए रखने के लिए तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में पदों का आरक्षण) अधिनियम पारित किया। कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई और यह अभी भी बरकरार है।

आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को महत्वपूर्ण झटका तब लगा जब केंद्र सरकार द्वारा 2019 में संसद के माध्यम से संवैधानिक संशोधन कर आर्थिक आधार पर उच्च जाति वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। हालांकि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा किसी भी क़ानून द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है, इसलिए सभी प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी थी। लेकिन फैसले में ही कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों के साथ जो मुद्दा उठता है वह यह है कि 50 प्रतिशत से यादा बढ़ाए गए आरक्षण के मामले में वास्तव में विशेष परिस्थिति मौजूद है या नहीं और यदि हां तो सीमा कितनी अधिक हो सकती है।

राजनीति से इतर आरक्षण के मुद्दे को तय करते समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि क्या राज्य विभिन्न समुदायों को आरक्षण देने के दौरान सरकार की संघीय ढांचे को बनाए रख रहे हैं या इसे नष्ट कर रहे हैं। समुदायों को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता पर भी ध्यान देना होगा. आरक्षण विरोधियों का मानना है कि सीमा से अधिक आरक्षण प्रदान करने से योग्यता की उपेक्षा होगी, जो पूरे प्रशासन को परेशान करेगी। जबकि आरक्षण समर्थकों का मानना है कि आरक्षण बढ़ने से कम सुविधा वाले समुदायों को अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो कि आजादी के इतने सालों बाद भी इस समुदायों की जनसंख्या के मुकाबले कम है।

प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी जीत देख रही है। बहरहाल, मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने का मुद्दा चुनाव में कितना

असर डालेगा, यह देखने की बात है। इस मुद्दे का चुनावी लाभ लेने की नीयत से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इन चुनावों में 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग को देगी।

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण कैसे होगा- ग्राम पंचायत में जितने भी वार्ड हैं उनकी संख्या को 100 प्रतिशत माना जाएगा। सबसे पहले एससी-एसटी को आरक्षण देंगे और फिर जितना भी बचेगा सब ओबीसी को। सरपंच पद के चुनाव में जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल ग्राम पंचायतों की संख्या को 100 प्रतिशत माना जाएगा। उदाहरण-

क्या वर्तमान शिवराज सरकार हार के डर के कारण टाल रही थी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव?

किसी जनपद पंचायत में 28 ग्राम पंचायत हैं तो 14 ग्राम पंचायतों का आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूले से होगा।

यदि ओबीसी की आबादी 14 फीसदी से कम है तो कितना आरक्षण- यदि पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या मात्र 14 प्रतिशत है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के मान से मात्र 02 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र ही आरक्षित किए जाना है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केवल 02 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र ही आरक्षित किये जा सकेंगे। इससे अधिक नहीं इस प्रकार ऐसे निकाय में कुल आरक्षण 27 प्रतिशत होगा।

यदि ओबीसी आबादी अधिक है तो कितना आरक्षण मिलेगा- यदि किसी पंचायत में 20 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र हैं और

उस पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग का 1 व अनुसूचित जनजाति वर्ग का 1 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। इस प्रकार 20 वार्डो या निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल 2 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जो कुल 20 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों का 10 प्रतिशत है, तो ऐसे में यदि पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 47 प्रतिशत है, तो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतम 35 प्रतिशत या 07 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे। इस प्रकार ऐसी पंचायत में कुल 9 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और कुल आरक्षण 45 प्रतिशत होगा।

आदिवासी इलाकों में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा- अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों (वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र) की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा तथा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। किसी निकाय में अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलकर 50 फीसदी या उससे यादा है तो वहां ओबीसी आरक्षण शून्य होगा।

सरपंच या अध्यक्ष के समस्त पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शेड्यूल एरिया में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कोई भी पद या स्थान आरक्षित किया जाना कानूनन संभव नहीं होगा। सरल शब्दों में, आदिवासी इलाकों में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।

नगरीय निकाय चुनाव में कैसे मिलेगा ओबीसी आरक्षण- प्रदेश में निकाय चुनाव में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था पूर्व की तरह रहेगी लेकिन ओबीसी के लिए नए सिरे से सीटें आरक्षित की जाएंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। किसी निकाय में अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलकर 50 फीसदी या उससे यादा है तो वहां ओबीसी आरक्षण शून्य होगा। अगर किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50 फीसदी से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50 फीसदी तक ओबीसी का आरक्षण होगा। वहीं अगर किसी निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

भोपाल में शिवराज सरकार ने ओबीसी महासभा को आंदोलन करने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा था।

का कुल आरक्षण 50 फीसदी से कम है तो उस निकाय में ओबीसी आरक्षण ओबीसी की आबादी से ज्यादा नहीं होगा। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डो को आरक्षित किया जाएगा। साथ ही किसी भी निकाय में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35 फीसदी से यादा नहीं होगा! गौरतलब है कि ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राय में ओबीसी को 35 फीसदी आरक्षण देने की अनुशंसा की थी!

मप्र में पहले ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 36 फीसदी आरक्षण लागू है, ऐसे में केवल शेष 14 फीसदी आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। मोटे तौर पर ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण का लाभ शहरों में ज्यादा मिल सकता है। राज्य में ओबीसी की कुल आबादी कितनी है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में भाजपा

कोर्ट में ओबीसी आबादी के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। इस पर भी विवाद हो सकता है। दूसरे, सरकार ने निकाय और पंचायतवार ओबीसी आबादी के जो आंकड़े दिए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

और कांग्रेस के अनुमान भी अलग-अलग हैं। बताया जाता है कि कोर्ट में ओबीसी आबादी के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। इस पर भी विवाद हो सकता है। दूसरे, सरकार ने निकाय और पंचायतवार ओबीसी आबादी के जो आंकड़े दिए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चूंकि सर्वोच्च अदालत ने इन्हें मान्य किया है, इसलिए उन्हें सही माना जा सकता है।

क्या ओबीसी के लिए आरक्षण विकास के लिए अच्छा है- जाति-आधारित जनगणना किये जाने की चर्चा ने एक बार फिर से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर बहस शुरू कर दी है। सकारात्मक कार्रवाई के बारे में बहस हमेशा योग्यता बनाम सामाजिक न्याय के सवाल में घिरी रही है। जाति व्यवस्था निश्चित तौर पर सामाजिक स्तरीकरण के सबसे कठोर रूपों में से एक है और यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक परिणामों को तय करना जारी रखती है। आरक्षण के आलोचकों का तर्क है कि सार्वजनिक रोजगार प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए। इसके प्रत्युत्तर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमारे जैसे असमान समाज में योग्यता के सही अर्थ पर सवाल उठाया है। राजनीतिक

ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया।

पर्यवेक्षकों ने ओबीसी की गणना के लिए केंद्र में मौजूदा शासन की अनिच्छा के बारे में लिखा है क्योंकि इसकी परिणति मंडल के रूप में हो सकती है- जो ओबीसी लामबंदी की एक नई लहर बनकर क्षेत्रीय दलों को लाभ पहुंचा सकती है। डेटा-इच्छुक टिप्पणीकारों ने ओबीसी के भीतर विविधता और कोटा प्रणाली के पुनर्गठन में जनगणना के संभावित प्रभावों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। ये सभी प्रश्न वैध हैं। लेकिन क्या सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण विकास में मदद कर सकता है। आखिरकार लोक-सेवकों से जनता के कल्याण हेतु काम करने की अपेक्षा की जाती है। सकारात्मक कार्रवाई के बारे में बहुतायत शोध उपलब्ध हैं लेकिन इनमें से अधिकतर विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और एक हद तक अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर केंद्रित हैं। ओबीसी पर डेटा की कमी का मतलब यह भी है कि हम ओबीसी राजनीति को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। हाल के एक अध्ययन में पाया कि भारत में जाति-आधारित लामबंदी ने किस प्रकार से देश में विकास को आकार दिया है।

क्या ओबीसी वर्ग की नाराजगी का खामियाजा शिवराज सरकार को भुगतना पड़ेगा?

ओबीसी और ओबीसी आरक्षण का इतिहास- 1870 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी में ओबीसी शब्द के प्रयोग का सन्दर्भ मिलता है। ब्रिटिश प्रशासन ने सकारात्मक कार्रवाई हेतु निम्न जाति के समूहों की पहचान करने के लिए शूद्र और अछूत जातियों को पिछड़े वर्गो के लेबल के तहत जोड़ा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अछूतों को अनुसूचित जाति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस वर्गीकरण का उपयोग करना जारी रखा। बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों के कारण सरकार ने जाति उत्पीड़न को बड़े पैमाने पर कम करने के लिए ठोस उपाय किये। 1950 में

चयनित शिक्षक भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने बालाघाट में प्रदर्शन किया।

अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एससी और एसटी के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया। संविधान ने ओबीसी के लिए प्रावधान करने का भी संकल्प लिया था। काका कालेलकर और बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 1953 और 1978 में पिछड़ी जाति हेतु दो केन्द्रीय स्तर के आयोग गठित किये गए। फिर भी ओबीसी 80 के दशक के अंत तक एक अमूर्त प्रशासनिक श्रेणी बना रहा।

मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह द्वारा 1989 में ओबीसी के लिए आरक्षण की घोषणा किये जाने के बाद पूरे उत्तर भारत में उच्च जाति के छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि इस अवधि के दौरान एक मजबूत चुनावी ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय उच्च जाति

के समर्थन को आकर्षित करके निचली जातियों की उन्नति के खिलाफ किये गए कुलीन विद्रोह को दर्शाता है। इसके कारण अन्यथा विभाजित शूद्रों की प्रति-लामबंदी ने ओबीसी को राजनीतिक रूप से एक प्रमुख समूह के रूप में एकत्रित किया। 90 के दशक में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में काफी वृद्धि हुई जिसे योगेंद्र यादव ने भारत का दूसरा लोकतांत्रिक उत्थान कहा है। ओबीसी को लामबंद करने वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसी पार्टियां राजनीति के इस मंडलीकरण के साथ महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ीं और इसी कारण से भाजपा को नई जाति-आधारित जनगणना का डर हो सकता है। 90 के दशक की शुरुआत तक भारत के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री गैर-ब्राह्मण थे जो ज्यादातर ओबीसी समूहों से आते थे। इन नेताओं ने अपने-अपने रायों में ओबीसी आरक्षण पर जोर दिया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रुझानों के विपरीत, ओबीसी आरक्षण में सबसे तेज वृद्धि 1993 के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद हुई। स्वतंत्रता के ठीक बाद ओबीसी कोटा दक्षिण भारत के केवल चार रायों तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक सीमित था। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत में निम्न जाति के सामाजिक आंदोलनों का बहुत लंबा इतिहास रहा है।

ओबीसी आरक्षण और विकास- वर्तमान में सभी राज्यों में सार्वजनिक रोजगार में ओबीसी के लिए कुछ स्तर का कोटा है। ऐसे कोटा का विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। विद्वानों ने आमतौर पर ओबीसी आरक्षण को संरक्षण की राजनीति का एक रूप माना है। उदाहरण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कुछ साल बाद राजनीतिक वैज्ञानिक मायरोन वीनर ने ओबीसी आरक्षण को कार्यालय की लूट को बाँटने की पेशकश गरीबों के लिए सामाजिक न्याय का वादा नहीं के रूप में वर्णित किया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे रायों में पिछड़ी जाति के दलों के नेतृत्व वाली सरकारों को नव-पैतृक के रूप में वर्णित किया गया है। वे राज्य जो सार्वजनिक कीमत पर निजी हित साधते हैं। जबकि कुछ राज्यों में संरक्षण और कुशासन की चिंताएं व्यर्थ नहीं हैं। विकास पर ओबीसी राजनीति के प्रभाव के बारे में बहुत कम अनुभव-जन्य शोध किया गया है।

सोची-समझी साजिश से विपक्ष को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार

मनी लांड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन...

विजया पाठक

मोदी सरकार में राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बदजुबानी और आपसी वैमनस्य की शुरुआत तो वैसे 2014 से ही शुरू हो गई थी, जब केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। यही कारण है कि आज अपने राजनैतिक विरोधियों को कुचलना और इस वैमनस्यता वाली राजनैतिक सोच ने लोकतंत्र को अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। कहा जा सकता है कि पिछले आठ साल में एक सोची समझी साजिश के तहत मोदी सरकार ने विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची है। इस साजिश में विपक्ष के नेताओं पर कानूनी

वर्तमान में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी की एक गरिमा होती है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को इस तरह से दुर्भावना से काम नहीं करना चाहिए। अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। विपक्ष की ऐसी हालत किसी भी लोकशाही के लिए एक अशुभ संकेत है। विकल्पों का अभाव ही तानाशाही भावना को जन्म देता है। भाजपा को कांग्रेस फोबिया से निकल कर सहज और सकारात्मक तब आामक बनना होगा। अन्यथा वो सिर्फ संसद से सड़क तक नारेबाजी में सीमित रह जाएगी।

तरीके से परेशान करना, बदले की भावना से नेताओं के साथ व्यवहार करना, कई विपक्षी कद्दावर नेताओं के विषय में अपशब्दों का उपयोग करना (जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहना) और विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं की कार्रवाई करवाने की धमकी देकर अपने पाले में करने की साजिश रचना प्रमुख हैं। मोदी सरकार के यह ऐसे षड़यंत्र हैं जिनके डर से कई नेता या तो बीजेपी में शामिल हो गये या अपने आप को चुप करके शांत बैठ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि आज विपक्ष कमजोर हो गया और मोदी सरकार अपनी हिटलरशाही पर उतर आयी। मोदी सरकार का यह रवैया देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब-जब देश में विपक्ष कमजोर हुआ है

हार्दिक को मिलेगा बीजेपी में शामिल होने का तोहफा?

हार्दिक के नज़दीकी लोगों का कहना है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की वजह उस पर दर्ज केस को वापस लेना है, लेकिन जानकार मानते हैं कि बीजेपी इतनी जल्दी हार्दिक पर दर्ज केस वापस नहीं लेगी। हां ऐसा जरुर हो सकता है कि कुछ समय पर हार्दिक पर लगे छोटे केस वापस लिए जाएं। हालांकि इसके लिए हार्दिक को बीजेपी में अपनी वफादारी साबित करनी होगी।

गौरतलब है कि यह वही हार्दिक हैं जिस पर अदालत ने अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा दायर 18 पन्नों की चार्जशीट को पढ़ते हुए धारा 124 (ए) (देशद्रोह) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए थे। इन तीनों पर पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की उनकी मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया गया है। उस समय हार्दिक ने कहा मेरे खिलाफ देशद्रोह, सरकार के खिलाफ युद्ध, लोगों को भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि मैं भाजपा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियारों के साथ हूं। लेकिन मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। मैं लड़ूंगा और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय भी जाऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अहमदाबाद अपराध शाखा पर भरोसा नहीं है, जिसकी चार्जशीट आज तय किए गए आरोपों का आधार है।

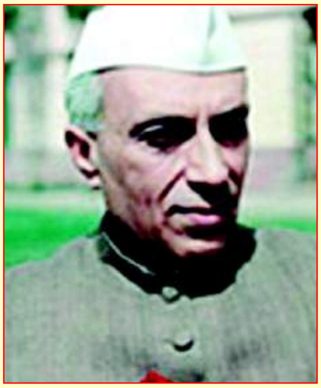

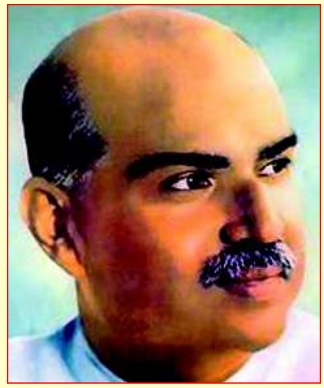

ये इतिहास के दिग्गज राजनेता हैं, जो थे तो अलग-अलग विचारा धाराओं के, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और सम्मान का पूरा ध्यान रखते थे। इनके समय में भी पक्ष और विपक्ष में मतभेद होते थे। एक दूसरे की विचार धाराये मेल नहीं खाती थी। पर सत्यता ये भी थी कि कभी भी एक दूसरे ने शब्दों के माध्यम से कीचड़ नहीं उछाली और बदले की भावना से व्यवहार नहीं किया।

तब-तब देश खतरे में पड़ा है।

ताजा मामला देश की सबसे ताकतवर विपक्ष कांग्रेस के नेताओं को लेकर है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नही है। इक्वैटी में केवल कंवर्जन या ऋण दिया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान समय में ईडी और अन्य एजेंसियों की छापेमार कारवाई चल रही हैं। यह केवल उन लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है जो या तो विपक्ष में हैं या जो मोदी सरकार के विरोधी हैं। यह केवल बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाईयां हैं।

इतिहास के नेताओं से सीख लें मोदी जी

एक समय था जब राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बीच भी तल्खी खूब थी लेकिन नेहरू जी ने अपने शासन में उन्हें कश्मीर के मामले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। वहीं नेहरू जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच कुछ ठीक नहीं था लेकिन नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। नेहरू ने विपक्षी दल में होने के बावजूद अटल जी को हर जगह सराहा। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विदेश में भारत का पक्ष रखने भेजा करते थे। ऐसा ही सम्मान स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा गांधी की तरफ दिखाया करते थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अटलजी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपमा दी थी। अटल जी

राबर्ड वाड्रा को भी जयपुर की एक जमीन के मामले में मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने काफी परेशान किया था।

सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की तरह जुझारूपन दिखाने की आवश्यकता है

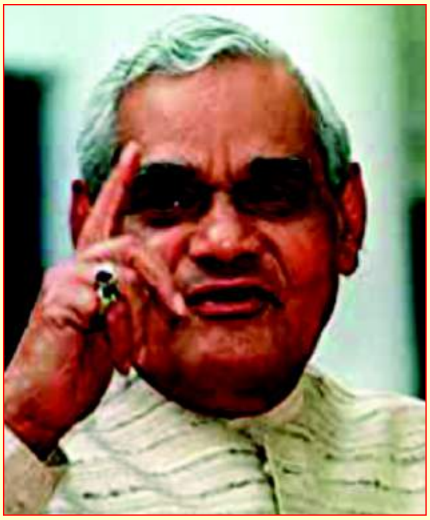

देश के इतिहास में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी बाजपेयी की शालीनता के कई किस्से जगजाहिर हैं। कहने को तो ये दोनों एक दूसरे के वैचारिक रूप से विराधी थे लेकिन जब बात अच्छे कामों की आती थी तो एक दूसरे की तारीफों से नहीं चूकते थे।

लोकतंत्र के लिए खतरनाक है निचले स्तर की राजनीति

ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा भी मर्यादा के साथ उठाया था। लोहिया जी और जवाहरलाल नेहरू की आपस में कभी नहीं पटती थी पर जवाहरलाल नेहरू और लोहिया जी के बीच पूरा आदर भाव था। यही आपसी आदरभाव जेपी और इंदिरा गांधी के बीच था।

देहाती औरत, पप्पू से फैंकू तक और कितनी गिरेगी जबान

राजनीतिक बदजुबानी का नया चलन 2013 से चलना शुरू हुआ। उस समय भाजपा में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। मोदी ने अपनी टीम में ओछे राजनीतिज्ञों के साथ-साथ कई

पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी.चिदम्बरम और उनके बेटे के.चिदम्बरम पर भी मोदी सरकार के समय अनेक केस लगाये गये।

नौसिखियों को रखा। कोई टेलीविजन परदे से था तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट था। फिर जो राजनीतिक बदजुबानी का ऐसा चलन चला कि मानो कान से खून निकल जाए।

किसी ने तबके प्रधानमंत्री को दब्बू कहा तो किसी ने राजनीतिक इमेज हत्या के लिए राहुल गांधी को पप्पू बना दिया और इसके जवाब में दूसरी टीम ने किसी को फेंकू कहा

कहीं बदले की भावना से तो नहीं हुई सतेन्द्र जैन की गिरफतारी?

अभी हाल ही में केजरीवाल सरकार में मंत्री सतेन्द्र जैन को ईडी ने गिरफतार किया है। इस गिरफतारी के बाद सवाल उठाये जा रहे हैं कि कहीं उन्हें बदले की भावना से तो गिरफतार तो नहीं किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक हथकंडा बताया है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पूरी तरह बेकसूर हैं और हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम न तो भ्रष्टाचार करते हैं और ना ही भ्रष्टाचार को सहन करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही ईमानदार सरकार है। मुख्यमंत्री ने ईडी की इस कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि जैन को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है। ईडी का कहना है कि जैन उनके खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। जैन को इस मामले में कथित तौर पर शामिल बताया जा रहा है। जैन को केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन–देन से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। जैन की गिरफ्तारी उनके परिवार और कंपनियों के नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्की के एक महीने बाद हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अगस्त, 2017 में जैन और उनके परिवार के खिलाफ 1.62 करोड़ रुपये तक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आप के नेता और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार शेल कंपनियों बनाई थीं। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। ईडी ने वर्ष 2018 में शकूर बस्ती के आप विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। ईडी ने अपने बयान में कहा कि 2015-16 के दौरान, जब जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामत्वि वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। बयान में कहा गया कि इन राशियों का उपयोग सीधे जमीन की खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए किए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।

तो, किसी को तड़ीपार।

बदजुबानी के बाद केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कुचलने की शुरुआत

बदजुबानी के बाद इन राजनैतिक दलों में वैमन्यता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, एनसीबी और अन्य एजेंसी के माध्यम से अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने की कोशिश की जाने लगी। राज्य के मंत्री को उठाना हो या चिदंबरम पिता-पुत्र के खिलाफ मैन हैंडलिंग से अपने विरोधियों को कुचलने की नई परिपाटी चालू हो गई

है। ऐसी वैमन्यता वाली सोच निश्चित तौर पर लोकतंत्र का सर्वनाश कर देगी। एक बात जरूर सत्ता दल को याद रखना चाहिए की सत्ता स्थाई नहीं होती ना किसी पार्टी विशेष मुक्त भारत कभी हो सकता है। वैसे भी प्रकृति का नियम से बदलाव होते ही हैं।

सोनिया गांधी-राहुल गांधी देश के सामने जुझारूपन दिखाए

जुझारूपन को लेकर एक किस्सा याद आया जब इंदिरा गांधी को जनता सरकार ने गिरफ्तार किया था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाओंगे। जनता पार्टी सरकार के अंत की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। डेढ़-दो साल के अंदर जनता पार्टी सरकार का अस्तित्व मिट गया। राहुल गांधी को अपनी दादी को याद करना चाहिए। वक्त ने आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप अगर सच्चे हैं तो कोई जांच एर्जेंसियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इंदिरा गांधी जैसी जुझारूपन की राजनीति से ही आप अपना आगे का भविष्य बना सकते हैं।

अंत में यही कहती हूं कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता हैं और साम-दाम, दण्ड-भेद की राजनीति से विपक्ष का गला घोंटा गया तो आने वाले समय में भारतीय राजनीति पक्षहीन होकर तानासाही के हाथों में चली जाएगी। विपक्ष में बैठे लोग आवाज उठा रहे हैं पर उन्हें किसी न किसी मामले में कोई न कोई जांच एर्जेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इसी दबाव के चलते कांग्रेस का युवा चेहरा हार्दिक पटेल ने सत्ताधारी दल के सामने घुटने टेक दिए और सारी जांच एर्जेंसियो से छुटकारा पा लिया। कभी भाजपा की रडार में हार्दिक देशद्रोह के आरोपी थे। वहीं केजरीवाल ने भी नई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि मोदी जी अब जल्दी ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी फर्जी केस की तैयारी कर रहे हैं। शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान के साथ भी बदले की भावना से फंसाया गया था। आज वह बरी हो गया है। इसमें शाहरूख खान की जो बदनामी हुई है उसका क्या?

शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर उठे थे सवाल

02 अक्टूबर 2021 को एनसीबी मुंबई ने कार्डिला क्रूज शिप ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तब उन्हें इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया। समीर वानखेडे उन दिनों मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। उनकी आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर काफी आलोचना हुई थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर बीजेपी नेताओं के जरिए ट्रैप लगाकर आर्यन को फंसाने का आरोप लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एनसीबी ने दिल्ली एनसीबी से एसआईटी बनाकर मुंबई भेजी थी और उसे इस केस की फिर से जांच करने को कहा था। एसआईटी का दावा था कि आर्यन के पास से गिरफ्तारी के दिन कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई। एनसीबी, दिल्ली की एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्यन ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थे। रिपोर्ट में समीर वानखेडे और मुंबई एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ एसआईटी को सबूत नहीं मिला।

इस गिरफतारी के बाद आर्यन खान के परिवार ने जो कष्टम सहन किया और जो अपमान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह ऐसे सवाल हैं जो हर एक के दिमाग में उपजते हैं। किसी के साथ बदले की भावना से किये जाने वाले कार्य हमेशा दुखदायी होते हैं। उसमें जो कष्ट या परेशानी होती है उससे सब कोई अनभिज्ञ होते हैं।

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के कुंड में मिला शिवलिंग

वर्तमान विश्वनाथ मंदिर को 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था। मुख्य मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी ने, 1505 एवं 1515 में सिकंदर लोधी ने, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने और अंतिम बार 1669 में औरंगजेब ने ध्वस्त किया था। कैथरीन एसर ने अपनी पुस्तक आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया में लिखा है कि मुगलों ने काशी में राजा मानसिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था, ताकि हिंदुओं को मानसिक दंड दे सकें। वैसे शिवलिंग भारत में तो उत्खनन में मिलते ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में शिवलिंग मिलते रहे हैं। इससे पता चलता है कि चार से दस हजार साल पहले तक भगवान शिव के अनुयायी पूरी दुनिया में थे।

प्रमोद भार्गव

वाराणसी अर्थात काशी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में न्यायालय के आदेश के अंतर्गत हुए वीडियो एवं फोटोग्राफी सर्वेक्षण में विशाल शिवलिंग मिला है। मस्जिद प्रांगण में वजू करने की जगह बने कुंड में मिला है। इसकी लंबाई 12 फीट 8 इंच और व्यास 4 फीट है। इसमें आश्चर्य की बात है कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में नंदी महाराज का जिस ओर में मुंह है, उसी दिशा में शिवलिंग मिला है। ध्वस्त किए गए वर्तमान विश्वनाथ मंदिर को 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था। मुख्य मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी ने, 1505 एवं 1515 में सिकंदर लोधी ने, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने और अंतिम बार 1669 में औरंगजेब ने ध्वस्त किया था। कैथरीन एसर ने अपनी पुस्तक आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया में लिखा है कि मुगलों ने काशी में राजा मानसिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था, ताकि हिंदुओं को मानसिक दंड दे सकें। वैसे शिवलिंग भारत में तो उत्खनन में मिलते ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में शिवलिंग मिलते रहे हैं। इससे पता चलता है कि चार से दस हजार साल पहले तक भगवान शिव के अनुयायी पूरी दुनिया में थे।

विकसित होती सभ्यता कैसे संस्कारों में ढलती है, इसका एक उदाहरण लोक साहित्य में अभिव्यक्त ऋषियों, ऋषि-पत्नियों और

शिव और नंदी का संबंध

शिव के वाहन नंदी यानी वृषभ का नंदी शिव के वाहन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वृषभ लोकव्यापी प्राणी होने के साथ खेती–किसानी का भी प्रमुख आधार है। यानी खेती का यांत्रिकीकरण होने से पहले बिना बैल के खेती संभव ही नहीं थी। फिर शिव ने लोक कल्याण की दृष्टि से सर्वहारा वर्ग के यादा हित साधे हैं, उन्हीं के बीच उन्होंने अधिकतम समय बिताया है। इसलिए ऐसे उदार नायक का वाहन बैल ही सर्वोचित है। नंदी के वाहन होने के कारण शिव को नंदीश्वर, वृशध्वज और वृशभकेतन नामों का विश्णुधर्मोत्तरपुराण, मत्स्यपुराण, रामायण और महाभारत में उल्लेख किया गया है। हमारे ऋषि–मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों की गवेशणा को आरंभिक अवस्था में ही समझ लिया था कि प्रकृति के अन्य जीव–जगत के साथ ही मनुष्य का सह–अस्तित्व संभव व सुरक्षित है। इसी कारण सभ्यता और संस्कृति का विकास में आगे बढ़ा, वैसे–वैसे अलौकिकि शक्तियों में प्रकृति के रूपों को प्रक्षेपित करने के साथ, पशु–पक्षियों को भी देवत्व से जोड़ते गए। नंदी को विरक्ति का द्योतक माना जाता है, इसलिए साधनारत षिव के लिए नंदी शक्ति के भी प्रतीक हैं और विरक्ति के भी। पूराणों में वृषभ को धर्म–रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनके चार पैरों को सत्य, ज्ञान, तप तथा दान का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग की उत्पत्ति को विद्युत तरंगों से भी होना मानते हैं। इसके आकार को ब्रह्मांड का रूप माना गया है। इस कारण शिव को विद्युताग्नि और नंदी को बादलों का प्रतीक माना गया है। बादल के प्रतीक होने के कारण ही शिव के नंदी शुभ्र–श्वेत हैं। शिवलिंग के रूप में योनि और लिंग प्रजनन के शक्ति के प्रतीक भी हैं, इसलिए वृशभ को काम का प्रतीक भी माना गया है। इसे काम का प्रतीक इसलिए भी माना गया है, क्योंकि इसमें काम शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। इस नाते वृषभ, सृजन शक्ति का प्रतीक है। षिव को नंदी पर आरुढ़ भी दिखाया गया है। इसका आशय है कि एक शिव ही हैं, जो कामियों की वासनाओं को नियंत्रित करने में या उन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। स्पश्ट है, काम के रूप में वृशभ का प्रतीक शिव को विश्व की सृष्टि के लिए अभिप्रेरणा का द्योतक भी है। अतएव जहां–जहां शिवलिंग मिलते हैं, वहां–वहां नंदी भी मिल जाते हैं।

अनार्य देव षिव के साथ घटी घटना में देखते हैं। एक बार वन में इकट्ठे हुए ऋशि, पत्नियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। तभी नंग-धड़ंग अक्खड़ षिव ने यज्ञ-स्थल के बगल से गमन किया। ऋषि पत्नियां शिव को दिगंबर अवस्था में देख काम सुख भोगने को इच्छुक हो गईं। भोग की लालसा लिए वे शिव दल के पीछे चल दीं। अनायास हुई इस अमर्यादित स्थिति से ऋषि क्रोधित हो गए। उनका पुरुशोचित अहंकार विचलित हो गया। उन्होंने तत्काल यज्ञ की महिमा व षक्ति से एक बाघ, एक विशैला सर्प और एक क्रूर

राक्षस षिव के दमन के लिए पीछे दौड़ा दिए। अब शिव को तो अनंत शक्तियों का रचायिता व निर्माता माना जाता है, सो उन्हें इनके समाहार में क्या परेशानी थी? अतएव उन्होंने बाघ को मारकर चर्म उतारा और कमर में लपेट लिया। उनकी यह उदात्त पहल प्रकृति प्रदत्त अवस्था से सभ्यता की ओर प्रस्थान थी। सर्प को पकड़कर वषीभूत किया और गले में हार बना लिया। यह प्रकृति के जीवों के सरंक्षण का लोक हितकारी पहला उपाय था। तत्पष्चात उन्होंने राक्षस को दबोचा और भूमि पर पटक दिया। फिर वे उसकी पीठ पर चढ़े और नाचने लगे। यह वही नृत्य था, जिसकी अवलोकित होने वाली छवि को नटराज की संज्ञा दी गई। इसमें राक्षसी बल का अहंकार त्यागकर सरलता से जीवन जीने का संदेष अंतर्निहित है। सभ्यता के विकासम में ये तीन बिंदु नग्नता पर आवरण, सर्प के संदर्भ में प्रकृति का सरंक्षण और नृत्य के रूप में आनंद की अनुभूति से जुड़े हैं। नृत्य और संगीत सनातन संस्कृति की अद्वितीय देन हैं। नृत्य, संगीत और चित्रकला के माध्यम से जो भी रूप भारतीय पौराणिक मिथकों के रूप में प्रचलित हैं, उन्हें प्रत्येक विचारधारा में प्रगतिशील माना गया है। किंतु यहीं मिथक-रूप जब विज्ञान के संदर्भ में परिभाशित किए जाते हैं, तो तथाकथित वाममार्गी वितण्तावाद खड़ा कर देते हैं। वैदिक काल में इंद्र ने जब देव संगठन बना लिया और स्वयं को स्वयंभू घोषित कर देवराज इंद्र बन गए, तब इंद्र ने शिव के अनुयायी रुद्रों की उपेक्षा शुरू कर दी।

वैदिक काल में इंद्र ने जब देव संगठन बना लिया और स्वयं को स्वयंभू घोषित कर देवराज इंद्र बन गए, तब इंद्र ने शिव के अनुयायी रुद्रों की उपेक्षा शुरू कर दी।

परिणामस्वरूप वे यज्ञ-भाग से वंचित हो गए। इस घटना के साथ ही इंद्र और विवस्वान सूर्य ने अपनी व्यक्ति पूजा आरंभ करा दी। ब्राह्मणों को दान-दक्षिण देकर ऋचाएं और और गीत अपनी प्रशंसा में सृजन करा दिए। इसीलिए ऋग्वेद में सबसे यादा ऋचाएं इंद्र पर संकलित हैं। यहीं से प्रशंसा प्रणाली या अपने मत के विचार को विस्तृत करने की धारा ने जन्म लिया। इस एकपक्षीय वैचारिक प्रणाली के विकसित हो जाने से रुद्रों के समक्ष अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। फलतः उन्होंने अपनी भिन्न सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की दृष्टि से भग और लिंग की पूजा प्रारंभ कर दी। मिट्टी, काठ व पत्थर के योनि-लिंग इसी समय से आकार लेने लग गए। इस अभियान से रुद्रों के समर्थक बढ़ गए। लिंग पूजकों की बढ़ती संख्याबल से इंद्र चिंतित हो गए। देवराज इंद्र ने इस चिंता के समाधान के लिए एक सभा आहूत की और उसमें रुद्रों को भी आमंत्रित किया। रुद्र सभा में उपस्थित हुए। तब इंद्र ने रुद्रों से पूछा, आप सभी रुद्र गण हमारे ही

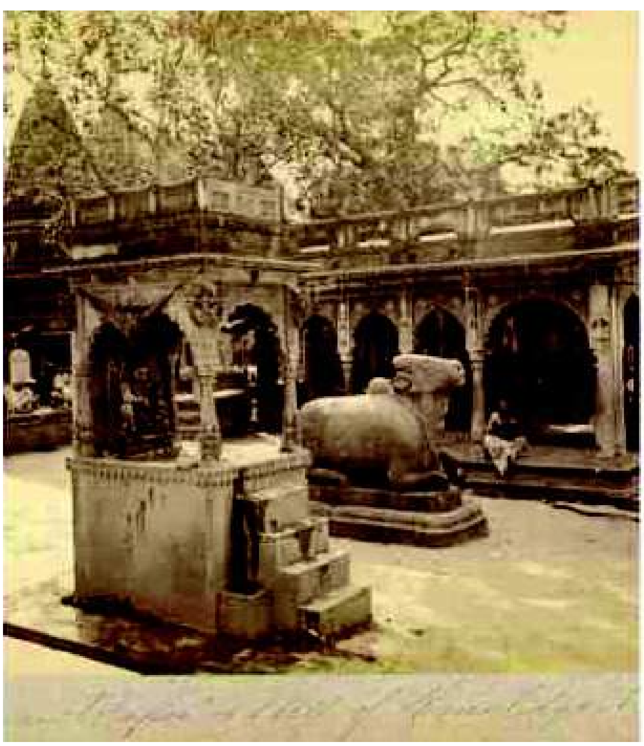

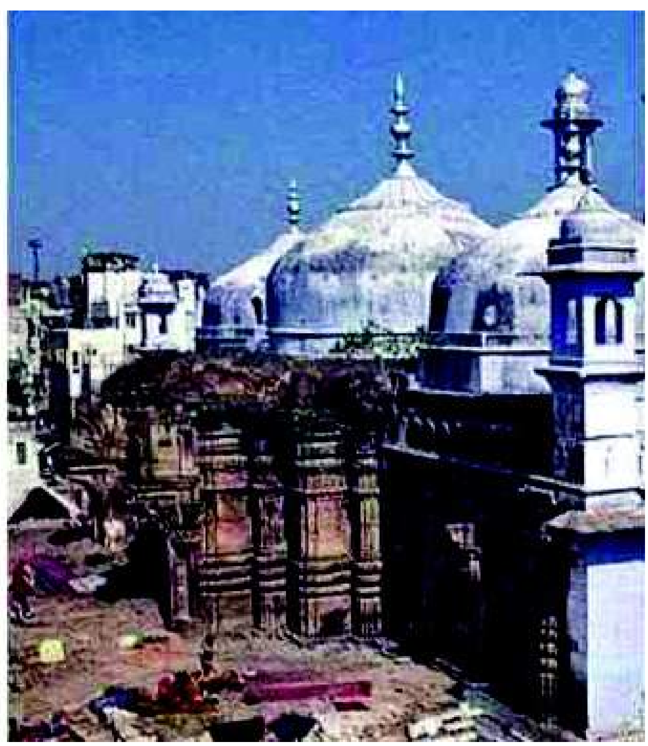

वंश के हैं, फिर हमसे पृथक रह कर अपनी अलग पूजा पद्धति क्यों विकसित कर रहे हैं? रुद्र ने उत्तर दिया, आपने हमें देव संगठन और यज्ञ-भाग से निष्कासित किया हुआ है, अतएव हमने भिन्न मार्ग और उपासना पद्धति चुन लिए हैं। आपने स्वयं को तो देवराज घोषित किया, किंतु हमें नगण्य मानकर बहिष्कृत कर दिया। तब इंद्र ने हर को महादेव कहा और रुद्रों की यज्ञ-भाग में भागीदार स्वीकार की। यहीं रुद्रों ने लिंग-पूजा करने की शर्त भी मनवा ली। रुद्र लिंग-पूजा इसलिए अनवरत रखना चाहते थे, जिससे स्त्री-पुरुष को संसर्ग के लिए प्रेरित करके अपने समूह का संख्याबल बढ़ा सकें। इस समझौते के बाद संपूर्ण संसार में योनि-लिंग की पूजा प्रचलन में आ गई। इसके साथ ही रुद्रों के वंषों का पृथ्वी के बहुत बड़े भू-भाग पर विस्तार होने लगा। ऋग्वेद, साइक्स कृत पर्शिया का इतिहास और विष्णु पुराण में इस विस्तार का उल्लेख है। आरंभ में रुद्र हेमकूट, हिंदुकुश और सरवन पर्वत क्षेत्रों में रहे। सरवन एशिया माइनर में है। इसी को उस कालखंड में शिव-देश कहा जाता था। ईरान में शंकर प्रदेश के अंतर्गत एक जाट प्रांत है। यहां जाटा और जिप्सी जाति के लोग रहते हैं। एक समय यहीं शिव रहा करते थे। इस भूखंड में रहने के कारण ही शिव जटाधारी कहलाए। ईरान में एक स्थल का नाम हिरात है। देव व असुर युग में इसी भू स्थल का नाम हर राष्ट्र था। यही रुदबर प्रदेष था। यहां रुद्र रहते थे। कैलाश पर्वत के पूर्व की ओर लोहित्य गिरी के ऊपर भद्रवट नाम का भूखंड है, यहां भी शिव रहे हैं। अरब और अफ्रीका में भी अनेक जगह शिव रहे हैं।

अरब में एक उमा प्रदेश है। शिव की पत्नी का नाम उमा है। इससे ज्ञात होता है कि दक्ष प्रजापति के राज का विस्तार उमा प्रदेश तक था। अतएव उनकी पुत्री का नाम उमा पड़ा।

अरब में एक उमा प्रदेश है। शिव की पत्नी का नाम उमा है। इससे ज्ञात होता है कि दक्ष प्रजापति के राज का विस्तार उमा प्रदेश तक था। अतएव उनकी पुत्री का नाम उमा पड़ा। इन्हीं उमा का एक नाम सती है। शिव का प्रभाव अफ्रीका तक रहा है। जिसे आज सूड़ान कहा जाता है, एक समय वह शिवदान-प्रदेश या सुदान कहलाता था। षिवदान का ही अपभ्रंष सूड़ान है। अरब का प्राचीन धर्म शिव या शैव संप्रदाय से ही संबद्ध था। मक्का का प्रसिद्ध संगे-असबद प्राचीन शिव-लिंग ही है। यही कारण है कि शिवलिंग के प्रमाण आज भी पश्चिम एशिया, अरब एवं अफ्रीका में तो मिलते ही हैं, भू-गर्भ का उत्खनन करने पर भी अनायास भी मिल जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी के बहुत बड़े भूखंड का आदि स्रोत सनातन संस्कृति है।

उड़ता पंजाब के बाद यह नया ट्रेंड कैसा?

ऋतुपर्ण दवे

पंजाब में दिनदहाड़े लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा के तमाम तरह के दावों की पोल खुल गई है। हालांकि हत्याकांड को आपसी गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। बावजूद इसके बड़ा सवाल यह कि उड़ता पंजाब क्या हत्यारा पंजाब भी बनने जा रहा है? इस हत्याकांड को कतई साधारण नहीं कहा जा सकता। जिस तरह विदेश और जेल में बैठे गैंगस्टर ताल ठोंककर और फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उससे कई तरह के सवाल और बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। मजबूत साइबर प्रणाली के दावों के बावजूद जेल के अन्दर से ही गैंग ऑपरेट करना शर्मनाक और बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं यह खुफिया और साइबर तंत्र की बहुत बड़ी नाकामी है। विदेश से धमकी देना या कुबूलनामा थोड़ा समझ भी आता है। लेकिन राजस्थान के अजमेर जेल में बंद गैंगस्टर का नाम जुड़ना बहुत बड़ी चूक, लापरवाही या साजिश या मिलीभगत कुछ भी हो सकती है। यह हैरान और परेशान करता है। ऐसे चलन को रोकना ही होगा। हत्या की खुलेआम जवाबदारी लेना, ताल ठोंकना और सोशल मीडिया पर लिखना अपराधियों के मजबूत होते तंत्र की गवाही दे रहा है।यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है?

ऐसे तत्वों की पहचान जरूरी है। हो सकता है कि अपराधी के साथ सरकारी मुलाजिम भी मिले हों जिनके साथ सख्त और वैसी कार्रवाई हो जो कई राज्यों में बुलडोजर के जरिए अंजाम दी जा रही है। इससे अपराधियों के साथ मुलाजिमों में भी डर पैदा होगा। अब वाकई कड़े और फौरन प्रभावी कानूनों की जरूरत है। कानून को चुनौती

इस हत्याकांड को कतई साधारण नहीं कहा जा सकता। जिस तरह विदेश और जेल में बैठे गैंगस्टर ताल ठोंककर और फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उससे कई तरह के सवाल और बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

देना अब अमन पसंद लोगों को भाता नहीं है। लेकिन यह हरकतें रुक नहीं रहीं है जो चिंता बढ़ाती हैं। इस पर पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से सोचने की जरूरत है।आज हम बहुत तेजी से विकसित सूचना तकनीक और साइबर प्रणाली से लैस हो रहे हैं। हर रोज नए से नए संसाधन और तंत्र विकसित हो रहे हैं। ऐसे मजबूत सुरक्षा च के दौर में अपराधियों

मूसेवाला समेत 424 लोगों की पुलिस सुरक्षा उनकी हत्या से 24 घंटे पहले ही वापस ली गई थी। अब कहा जा रहा है कि उनको दो कमांडो दिए हुए थे। मूसेवाला की हत्या और बीते दो महीने में दो कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या से भी पंजाब दहल उठा है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की 14 मार्च को जालंधर और 5 अप्रैल को पटियाला स्थित यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर ढाबे पर दूसरे कबड्डी खिलाड़ी धरमिंदर सिंह की हत्या से भी पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे।

का जेल में सुरक्षित बैठकर अपनी हरकतों को अंजाम देना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नशे के लिए पहले से ही बदनाम पंजाब अब फिरौती के नए तौर तरीकों को लेकर हर किसी के निशाने पर है। माना कि सरकार नई-नई है। लेकिन चुनौतियां तो पुरानी हैं। ऐसे में एकाएक तमाम लोगों को दी गई सुरक्षा एक झटके में हटा लेना और दूसरे ही दिन हत्या हो जाना भी मुख्यमंत्री के गले की फांस बनेगा।

मूसेवाला समेत 424 लोगों की पुलिस सुरक्षा उनकी हत्या से 24 घंटे पहले ही वापस ली गई थी। अब कहा जा रहा है कि उनको दो कमांडो दिए हुए थे। मूसेवाला की हत्या और बीते दो महीने में दो कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या से भी पंजाब दहल उठा है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की 14 मार्च को जालंधर और 5 अप्रैल को पटियाला स्थित यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर ढाबे पर दूसरे कबड्डी खिलाड़ी धरमिंदर सिंह की हत्या से भी पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। निश्चित रूप से पंजाब में जो हो रहा है वह सरकार और देश के लिए अच्छा नहीं है। माना कि सरकार की नीयत ठीक है। वह पंजाब के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन पंजाब के अतीत को देखते हुए सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया के उपदेश से हालात नहीं सुधरने वाले। सबसे पहले कठोरतम फैसले लेने होंगे। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था, सियासत और पुराने घटनामों को देखने के बाद इतना तो समझ आता है कि सबकुछ उतना आसान नहीं है जैसा बताने का प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को केन्द्र के साथ इस मसले पर बहुत ही संजीदगी से मिलकर काम करना होगा और पंजाब में गैंगस्टर वार या फिरौती की घटनाओं के खिलाफ सख्ती से काम करना होगा। कम से कम इतना तो करना ही होगा कि जेल में बैठे किसी आका का नाम दोबारा न आए और जितने भी बड़े और खूंखार अपराधी जेल में हैं उनको लेकर केंद्र के साथ नई समीक्षा की जाए। ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने और जेल से गैंग ऑपरेट करने जैसी चुनौतियों से नए साइबर युग में सख्ती से निपटना ही होगा। इसके लिए भले ही नया कानून बने या तुरंत अध्यादेश लाया जाए। ऐसे डराने या गलत संदेश देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को तो फौरन निष्प्रिय किया ही जा सकता है। कम से कम देश में वह भी जेल में बैठे अपराधियों के बारे में ऐसी जानकारियां बेचैन करती हैं।

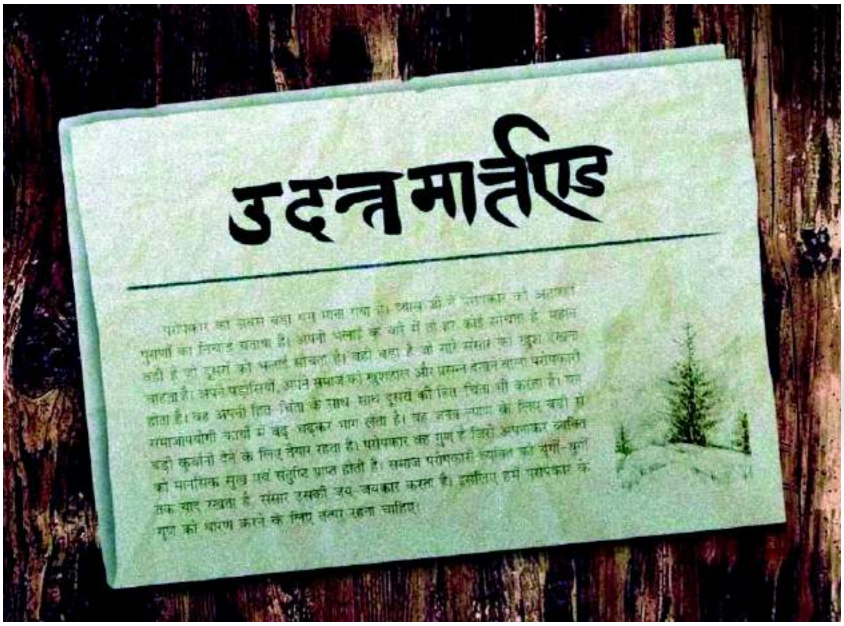

हिन्दी पत्रकारिता का अभ्युदय केंद्र

सीताराम अग्रवाल

कलकत्ता (अब कोलकाता) हिन्दी पत्रकारिता की जननी है। भारत में हिन्दी का पहला समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड आज से 196 वर्ष पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उदन्त मार्तण्ड का अर्थ है उगता हुआ सूरज या यूं कहें कि बाल सूर्य (जिसके दांत न आये हों)। इसका एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि इस पत्र ने तत्कालीन शासकों के समक्ष यह मंशा जाहिर कर दी थी कि भरोसा रखो, हम तुम्हें काटेंगे नहीं। और वास्तव में वैसा ही होता भी था। यह पत्र साप्ताहिक था और पुस्तकाकार में प्रति मंगलवार को निकलता था। इसमें अधिकतर सरकारी क्षेत्रों की गतिविधियों को ही स्थान मिलता था। इसके अलावा वैज्ञानिक खोजों और आधुनिक जानकारियां छापी जाती थी। इसमें खड़ी बोली व ब्रज भाषा का मिश्रण होता था, जिसे हम मध्यदेशीय भाषा कह सकते हैं। चूंकि उस समय हिन्दी भाषियों को पत्र पढ़ने की कोई लत नहीं थी।अतः पाठकों से कोई आर्थिक

भारत में हिन्दी का पहला समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड आज से 196 वर्ष पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।

सहयोग की आशा नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर अंग्रेजों का शासन था, जो हर हालत में अपना राज कायम रखना चाहते थे। ऐसे हालात में बिना सरकारी सहायता के पत्र चलाना असंभव था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ईसाई मिशनरियों को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, पर लाख कोशिश के बावजूद उदन्त मार्तण्ड को यह सुविधा नहीं मिल सकी। अतः जो होना था, वही हुआ। इसके कुल 79 अंक ही निकल पाये और दिसम्बर 1827 में ही इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसके अंतिम अंक में लिखा गया :-

आज दिवस लौं उग चुक्यौ
मार्तण्ड उदन्त
अस्ताचल को जात है दिनकर
दिन अब अंत

यह पंक्तियां सम्पादक जुगल किशोर सुकुल की असीम पीड़ा का वर्णन कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने समदन्त मार्तण्ड निकाला , पर वह भी अल्पायु रहा। यहां ध्यान देने की बात है कि सुकुल ने उदन्त को समदन्त बनाया, पर विफल रहे, क्योंकि नींव में ही गलती हो गयी थी। पत्रकारिता का गुण धर्म है - समाज और प्रशासन से बिना डरे, बिना झुके सभी को यथार्थ का दर्पण दिखाना। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत के पहले समाचारपत्र हिकी बंगाल गजट की दुर्दशा सुकुल जी को मालूम थी। ज्ञातव्य है कि 1780 में इस पत्र की स्थापना जेम्स अगस्ट्स हिकी ने की थी, जिसने अंग्रेजी साम्राय की नींव हिला दी थी और प्रेस की ताकत का अहसास कराया था। यहां तक कि पत्र ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगा दिया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस

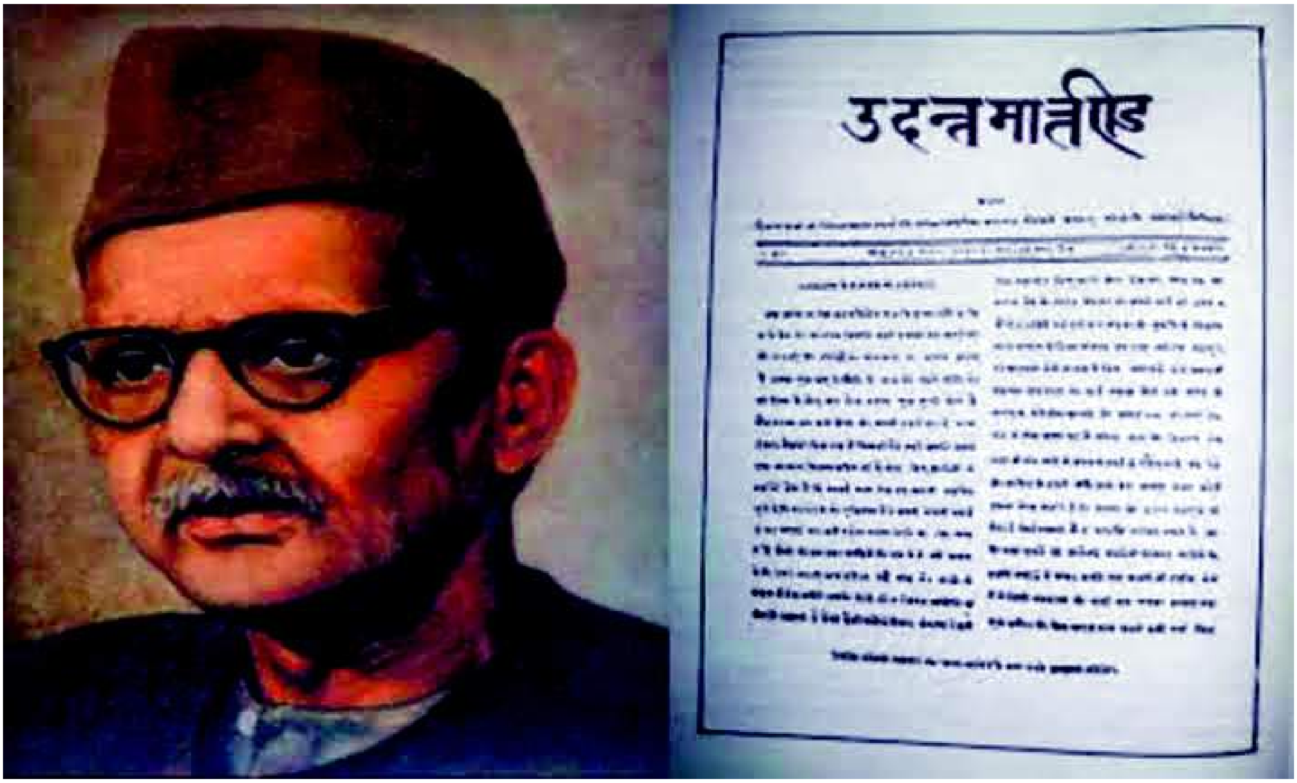

को घूस दी है। ऐसे आरोप लगाना पत्रकारिता धर्म के निर्वहन में साहस की चरम पराकाष्ठा थी। यह पत्र अंग्रेजी हुकूमत के कोप का शिकार हुआ। न सिर्फ पत्र बंद हुआ बल्कि हिकी को जेल भी जाना पड़ा। भले ही यह सब हुआ, पर हिकी ने पत्रकारिता क्षेत्र में जबरदस्त अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर अमरत्व पा लिया। पर सुकुल ने पत्र चलाने के लिए सरकारी समर्थन की जो उदार नीति अपनायी, वह काम नहीं आयी और अंग्रेज सरकार ने उदन्त मार्तण्ड को घास नहीं डाली।

यह तो हुई पुरानी बात। आइये, अब हम कोलकाता की वर्तमान हिन्दी पत्रकारिता पर एक नजर डाले। आजादी के बाद पुराने दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में सिर्फ विश्वमित्र (107 वर्ष) ही ऐसा अखबार था, जो नियमित प्रकाशित होता रहा। कलकत्ता से दैनिक सन्मार्ग का प्रकाशन 1948 में रामनवमी के पावन दिन से शुरू हुआ। इसके अलावा आज तलक काफी संख्या में हिन्दी के दैनिक पत्र निकले, पर इनमें से कई तो बंद हो गये और कुछेक किसी प्रकार निकल रहे हैं। ज्ञातव्य है कि दैनिकों के अलावा हिन्दी में काफी संख्या में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक वगैरह भी निकल रहे हैं, पर मैं यहां सिर्फ दैनिकों और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलन्द करने में उनकी भूमिका की चर्चा कर रहा हूं। वैसे अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है पर कोलकाता के मामले में हिन्दी मीडिया की उल्लेखनीय भूमिका नहीं दिखायी पड़ती।

आजादी के बाद बंगाल में पहले तो कांग्रेस का शासन रहा। बाद में 1977 से 34 वर्षो तक वाममोर्चा ने अबाध गति से शासन किया (हालांकि बीच में 1967 से कुछ समय के लिए वाममोर्चा शासन में था) । अब 2011 से तृणमूल का शासन चल रहा है। आजादी के बाद करीब 25 वर्ष तक विश्वमित्र की तूती बोलती रही। अन्य अखबार इसके सामने बौने लगते थे। पर शनैः शनैः इसकी लोकप्रियता घटती गयी और झोले में बिकने वाला सन्मार्ग दिन - प्रतिदिन लोकप्रियता व प्रसार संख्या बढ़ाता रहा और एक दिन वह शिखर पर जा पहुंचा, जो अभी भी किसी प्रकार कायम है। विश्वमित्र का पहले कमोबेश कांग्रेस की ओर झुकाव था। अतः कांग्रेस शासन में गलत नीतियों के कड़े प्रतिवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके बाद वाममोर्चा के शासन में वह स्वयं कमजोर हो रहा था, सो जोरदार प्रतिवाद का दम ही नहीं था। अब तृणमूल कांग्रेस के शासन में भी प्रायः तटस्थ व संतुलन की ही भूमिका है। सन्मार्ग की स्थापना श्रद्धेय करपात्री जी महाराज की प्रेरणा से कुछ विशेष धार्मिक उद्देश्य को लेकर की गयी थी। अतः शुरू के कुछ दशक तक वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में

लगा रहा। अतः शासन किसी का भी हो, उसे कोई विशेष मतलब नहीं था। बाद में ज्यों-ज्यों यह उन्नति के मार्ग पर बढ़ता गया, इसने अपनी मूल नीतियों में व्यापक बदलाव किया। पर जहां तक शासन व्यवस्था के गलत कदमों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलन्द करने का सवाल है, इसकी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही। उल्टे जब 2011 में तृणमूल का शासन आया तो पार्टी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के महत्व को गहराई से समझा और अभिनव तरीके से प्रभावशाली मीडिया के एक अंश को लाभान्वित कर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इस सिलसिले में ममता ने सन्मार्ग के कर्ताधर्ता विवेक गुप्त को सांसद बना कर रायसभा में भेज दिया। यही नहीं इन्हें हिन्दी अकादमी की कमान सौंप दी और हिन्दी पत्रों में विज्ञापन के मामले में सन्मार्ग को विशेष तरजीह दे दी। बाद में उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में जोड़ासांको से टिकट दे दिया। इस समय वे विधायक हैं।

अब आसानी से समझा जा सकता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था की गलतियों के खिलाफ सन्मार्ग की आवाज में कितना दम होगा। अब तो विवेक गुप्त के चलते सन्मार्ग पर खबरों के कवरेज में पक्षपात का आरोप लगने लगा है। अगर हम मान भी लें कि इस तरह के आरोपों में दम नहीं है, फिर भी यदि किसी अखबार का मालिक सयि रूप से पार्टी कार्यकर्ता हो और पत्र के दैनन्दिन व्यवस्था को भी संभालता हो तो आम जनता में उस पत्र की भूमिका संदेह के घेरे में रहेगी ही। यही कारण है कि सन्मार्ग को आज शिखर के जिस मुकाम पर होना चाहिये था, वहां से वह ढलान पर है। हालांकि जोरदार विकल्प के अभाव में वह आज भी शीर्ष पर है। दूसरे नम्बर पर प्रभात खबर की जद्दोजहद जारी है, पर अभी दिल्ली दूर है। दैनिक भारत मित्र कलकत्ता से 1878 में निकला था और 1935 में बंद हुआ। बाद में यह दोबारा 2005 में निकला और अभी भी प्रकाशित हो रहा है पर कोई विशेष उपलब्धि नहीं। दैनिक छपते छपते पिछले 50 वर्षो से निकल रहा है, पर अभी तक प्रसार संख्या के मामले में वह कोई सम्मानजनक स्थान नहीं बना पाया। हालांकि इस पत्र के मालिक व संपादक विश्वम्भर नेवर स्वयं बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जनता की नब्ज भी समझते हैं और ताजा टीवी के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता की सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी वे अपने पत्र को समुचित स्थान पर नहीं ले जा पाये। ऐसे हालात में सरकार के खिलाफ आवाज में कितनी बुलंदी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। सूत्रकार पिछले 65 वर्षो से निकल रहा है, पर वह भी फाइलों तक सिमट कर रह गया है। दैनिक लोकमान्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी, पर वह भी बहुत पहले बंद हो चुका है।

दैनिक भारत मित्र कलकत्ता से 1878 में निकला था और 1935 में बंद हुआ। बाद में यह दोबारा 2005 में निकला और अभी भी प्रकाशित हो रहा है पर कोई विशेष उपलब्धि नहीं। दैनिक छपते छपते पिछले 50 वर्षो से निकल रहा है, पर अभी तक प्रसार संख्या के मामले में वह कोई सम्मानजनक स्थान नहीं बना पाया। हालांकि इस पत्र के मालिक व संपादक विश्वम्भर नेवर स्वयं बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जनता की नब्ज भी समझते हैं और ताजा टीवी के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता की सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी वे अपने पत्र को समुचित स्थान पर नहीं ले जा पाये। ऐसे हालात में सरकार के खिलाफ आवाज में कितनी बुलंदी होगी।

इसी प्रकार दैनिक रूपलेखा भी कुछ वर्षो तक निकलने के बाद बंद हो गया। सलाम दुनिया भी बड़े जोर-शोर से निकला, वह भी राजनीति का शिकार होकर बंद हो गया। अब पुनः नये राजनीतिक परिदृश्य में हो सकता है, उसे नया जीवन मिले। सन्मार्ग के ही एक कर्मचारी अनिल राय ने वहां से निकल कर अपना दैनिक अखबार समाज्ञा निकाला। पिछले 6 वर्षो से यह पत्र अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दैनिक युवा शक्ति भी काफी हाथ- पैर मार रहा है। इसके युवा संपादक व मालिक सुधांशु शेखर उद्यमी हैं। कुछेक मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश भी होती है पर वांछित सफलता अभी हाथ नहीं आयी है। होनहार पत्रकार जगमोहन जोशी ने भी दृष्टि परख निकाला। इसके समय काल में कई परिवर्तन करते हुए दैनिक रूप भी दिया। सरकार का समर्थन हो या विरोध, निष्ठा के साथ छापा। पर यह भी कुछ खास स्थान नहीं बना पाया। अब यह डिजिटल रूप में निकल रहा है। राष्ट्ीय महानगर, सेवा संसार जैसे कुछ सांध्य दैनिक निकलते जरूर हैं, पर उनकी भूमिका नगण्य है। ये भी डिजिटल रूप ले चुके हैं। कोलकाता महानगर में अन्य रायों से बड़े घरानों के दैनिक अखबार आए पर प्रभात खबर को छोड़ कर कोई भी यहां अपना स्थान नहीं बना पाया। इनमें जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, जागरण वगैरह शामिल हैं।

वैसे एक बात बता दूं कि सरकार की नाक में दम करने में यहां के बंगला व अंग्रेजी दैनिकों की सराहनीय भूमिका रही है, जिससे प्रेरणा लेने में कोई हर्ज नहीं है। वास्तव में जनसंचार माध्यमों का उपयोग व्यापक लोकहित में होना चाहिये । इसके लिए कटु से कटु बात को भी शासन के समक्ष कौशल के साथ प्रस्तुत करना चाहिये। तभी हम देश व समाज के हित में अपनी जोरदार भूमिका निभा सकेंगे। दुर्भाग्य से इस मामले में कोलकाता की हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका नगण्य रही है, जो चिंताजनक है। आशा है, इस बारे में आसन्न कार्यम में विचार- विमर्श कर कुछ उपाय निकाला जायेगा।

दुशांबे में पाकिस्तान क्यों नहीं आया?

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अफगानिस्तान के आठ पड़ोसी देशों का एक चौथा सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किरगीजिस्तान, उबेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तो भाग लिया ही, उनके साथ रूस, चीन, ईरान और भारत के प्रतिनिधि भी उसमें गए। यह सम्मेलन इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का था। भारत से हमारे प्रतिनिधि अजित दोभाल थे। उनके साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह भी थे लेकिन पिछली बार जब यह सम्मेलन भारत में हुआ था तो चीनी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने कोई बहाना बना दिया था। पाकिस्तान न तो उस सम्मेलन में आया था और न ही इस सम्मेलन में आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो इसमें भारत की उपस्थिति ऐसी है, जैसे किसी ड्राइंग रूम में हाथी की होती है। भारत इन देशों में चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है। पाकिस्तान के लिए वह सिरदर्द बन सकता है लेकिन इस बार चीन दुशांबे में तो आया लेकिन दिल्ली में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वह दिल्ली आता तो पाकिस्तान नाराज हो सकता था।

पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मामूली नहीं है। इस्पाती है। इसके बावजूद भारत और ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों की भर्त्सना की और काबुल में सर्वसमावेशी सरकार की मांग की। ताजिकिस्तान वही देश है, जहां काबुल से भागकर राष्ट्रपति अशरफ गनी पहुंच गए थे। अफगानिस्तान के फारसी भाषी ताजिक लोग उसका सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है जबकि तालिबान मुख्यतः गिलजई पठान हैं। ताजिकिस्तान में बैठकर ही अहमद शाह मसूद ने काबुल की रूस परस्त सत्ता को हिला रखा था। काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही मसूद के बेटे और भाई दुशांबे में बैठकर तथाकथित प्रवासी सरकार चला रहे हैं। इस सम्मेलन से तालिबान इसलिए भी बाहर है कि एक तो उनकी सरकार को किसी ने भी मान्यता नहीं दी है और दूसरा वे ताजिक दखलंदाजी के खिलाफ हैं। चाहे जो हो, इस सम्मेलन में रूस और चीन की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन का रूस अब ब्रेजनेव वाला रूस नहीं रहा और चीन को अपने शिनच्यांग में चल रहे उइगर मुसलमानों से बहुत परेशानी है। लाखों उइगर मुसलमानों को चीन ने यातना शिविरों में बंद कर रखा है। इस दृष्टि से भारत और चीन की चिंताएं लगभग एक जैसी हैं। जैसे हमारे कश्मीर और पंजाब में वैसे ही शिनच्यांग में आतंकवादी काफी सयि हैं। पाकिस्तान को इस सम्मेलन में सबसे अधिक सयि होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद सबसे यादा उसी का नुकसान कर रहा है। इस सम्मेलन ने आतंकवाद विरोध और सर्वसमावेशी सरकार की जमकर मांग की लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और अभाव से ग्रस्त जनता की मदद के लिए ये सभी राष्ट्र कोई बड़ी घोषणा करते तो बहुत अच्छा रहता।

सामाजिक एकता बढ़ाएगा समान कानून

सुरेश हिन्दुस्थानी

वर्तमान में समान नागरिक कानून की चर्चा बहुत ज्यादा है। होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश समान कानून की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। आज जो देश विश्व की महाशक्ति मानने का साहस रखते हैं, उन सभी देशों में कानून के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाता। भारत में कानून के नाम पर जो प्रावधान हैं, उनमें कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं। जो समाज में असमानता का भाव पैदा करने वाले कहे जा सकते हैं। विसंगति यह है कि मुस्लिमों के लिए जो पर्सनल कानून बनाए हैं, वे सामाजिक उत्थान और मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का ही एक प्रयास था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है, यह हम सभी के सामने है। मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग देश की वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहता। इतना ही नहीं वह अभी तक भारत के उन संस्कारों से समरस नहीं हो सका है, जो मुगलों और अंग्रेजों से पहले से चले आ रहे हैं। भारत के मुसलमानों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह मुसलमान सनातन काल से भारत के ही हैं। वह अपना इतिहास खोजेंगे तो उन्हें इसके प्रमाण भी मिल जाएंगे। आज कई मुस्लिम अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास भी करने लगे हैं। वसीम रिजवी और जफर शेख ने इस पहल को गति देने का कार्य किया है। अभी मुस्लिम समाज को सुबह का भूला निरूपित किया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, लेकिन यकीनन वो शाम भी आ रही है, जिसमें सब घर लौटने की कवायद करेंगे।

समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ संस्थाओं द्वारा यह प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह कानून भारत के मुस्लिमों के विरोध में है। जबकि इस पर गंभीरतापूर्वक मंथन किया जाए तो समान नागरिकता कानून मुस्लिमों के लिए बड़ा हितकारक ही सिद्ध होगा। हम जानते हैं कि आज देश का बहुत बड़ा मुस्लिम समाज मुख्यधारा से कटा हुआ है। इसके पीछे एक मात्र कारण देश की राजनीति को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीतिक दलों ने मुस्लिमों के वोट प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके से प्रलोभन देने का काम किया, यही प्रलोभन मुस्लिम समाज के विकास में बाधक बनकर सामने दिखाई दिया। अगर सारे समाज के लिए देश में एक समान कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से समाज में भेदभाव भी समाप्त होगा, जो अपरिहार्य भी है। इसलिए अब देश के मुस्लिम समाज को स्वयं ही समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करना चाहिए, जो न्यायोचित कदम होगा।

देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीतिक दलों ने मुस्लिमों के वोट प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके से प्रलोभन देने का काम किया, यही प्रलोभन मुस्लिम समाज के विकास में बाधक बनकर सामने दिखाई दिया।

वर्तमान में एक बार फिर से समान नागरिक कानून बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसा किया जाना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि निजी कानूनों के चलते समाज में भेदभाव की खाई लगातार गहरी होती जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार तलाक के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि देश में सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए। हम जानते हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता

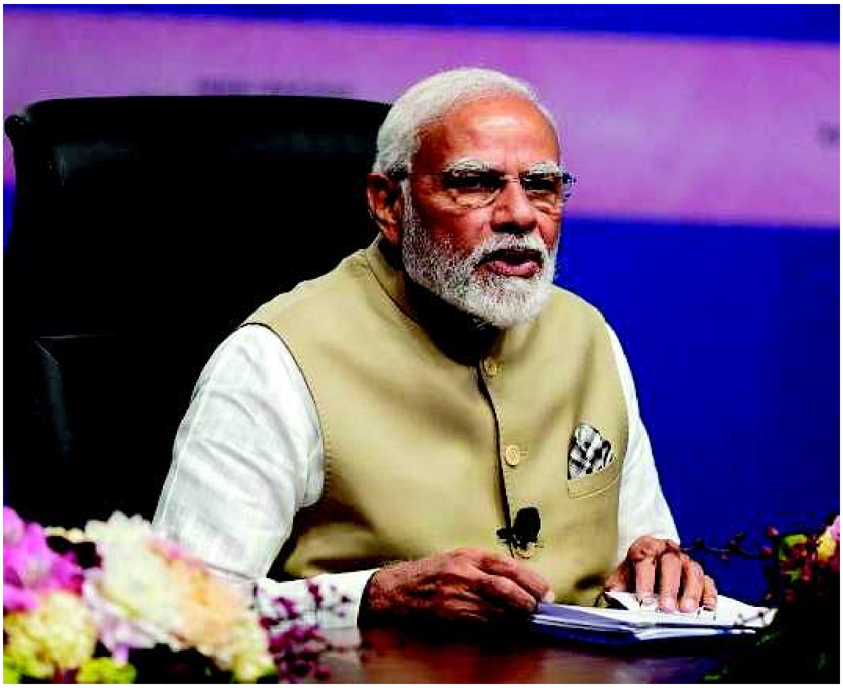

लागू है और इस राज्य के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है कि देश में भी समान नागरिक संहिता के होने से समाज को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या तो केवल उन राजनीतिज्ञों को है जो समाज में विभाजन की लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों को विचार करना चाहिए कि जो काम गोवा में किया जा सकता है, वह शेष देश में क्यों नहीं हो सकता? राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता न तो किसी के विरोध में है और न ही किसी के समर्थन में है। समान नागरिक संहिता देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है।

विश्व के कई देशों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं हैं, सबको देश में एक ही कानून को मानना होता है, लेकिन भारत में राजनीतिक फायदे के लिए तुष्टिकरण का ऐसा खेल खेला गया, जो विविधता में एकता के दर्शन को तार-तार कर रहा है। निजी कानूनों के कारण कहीं-कहीं विसंगति के हालात भी पैदा हो रहे हैं। सामुदायिक घटनाओं को भी स्वार्थी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, घटना को देखने का यह नजरिया वास्तव में वर्ग भेद को बढ़ावा देने वाला है। देश का मुस्लिम भी समाज का एक हिस्सा है, जिसे इसी रूप में प्रस्तुत करने की परिपाटी चलन में आ जाए तो भेद करने वाले विचारों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को ऐसे भ्रम में रखने के लिए प्रेरित किया कि वह भी ऐसा ही चिंतन करने लगा, जबकि सच्चाई यह है कि आज के मुसलमान बाहर से नहीं आए, वे भारत के ही हैं। परिस्थितियों के चलते उनके पूर्वज मुसलमान बन गए। वे सभी स्वभाव से आज भी भारतीय हैं और विचार से सनातनी हैं, लेकिन देश के राजनीतिक दल मुसलमानों के इस सनातनी भाव को प्रकट करने का अवसर नहीं दे रहे।

जहां तक निजी कानूनों का सवाल है तो यह कहीं न कहीं समाज से दूर करने का बड़ा कारण ही सिद्ध हो रहा है। इन कानूनों से अगर किसी वर्ग को लाभ मिलता तो वह आज प्रगति कर चुका होता, जबकि वास्तविकता यही है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं ही उनकी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हम जानते हैं कि सुविधाओं के सहारे किसी भी समाज को स्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भारत में मुस्लिम पर्सनल कानून को लेकर जहां मुस्लिम समाज के पैरोकार समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने से वंचित कर रहे हैं, वहीं देश के कुछ राजनीतिक दल भी आग में घी डालने जैसा कृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में यह कदम कहीं न कहीं देश में वैमनस्यता को बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं। जहां तक साम्प्रदायिक सद्भाव की बात है तो सभी धर्म और सम्प्रदाय के लोगों को एक दूसरे के रीति रिवाजों को समान भाव से सम्मान देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो सामाजिक समरसता के तमाम प्रयास महज खोखले ही साबित होंगे।

भाजपा शुरू से ही इस पक्ष में रही है कि एक देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। किसी को भी पर्सनल लॉ के तहत काम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जो राजनीतिक दल इसे भाजपा या कांग्रेस के नजरिये से देखते हैं, उन्हें एक बार फिर से इस कानून को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम यह चिंतन भारतीय भाव से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देगा कि समान नागरिक कानून देश और समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। अगर इसे हिन्दू मुस्लिम के संकुचित भाव से देखेंगे तो खामी न होने के बाद भी खामियां दिखाई देंगी। यह मसला वास्तव में केंद्र की मौजूदा सरकार ने अपनी तरफ से शुरू नहीं किया है। यह मांग तो पिछली सरकारों के समय भी उठती रही है, इसलिए वर्तमान केंद्र सरकार को दोषी ठहराना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। मौजूदा सरकार पूरे देश में हर नागरिक को समान अधिकार देने के पक्ष में है। वह पुरुष हो या महिला। हिंदू हो या मुसलमान या किसी दूसरे मजहब को मानने वाले नागरिक। ऐसा होगा तभी देश में सामाजिक समरसता की स्थापना संभव हो सकेगी।

आरक्षण मामले में राजनीति कर रही भूपेश सरकार

विजया पाठक/मणिशंकर पांडे

अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की आंच अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में सियासत सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल चुकी है। इसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप हैं कि यह सरकार पहले आरक्षण बढ़ाने का ऐलान करती है। बाद में अपने ही लोगों के द्वारा कोर्ट से स्टे ले आती है। सरकार ओबीसी हितैषी बनने का केवल ढोंग करती है। वह आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। जबकि शिक्षण संस्थाओं में केंद्र सरकार ने आरक्षण लागू किया है तो वहीं मध्यप्रदेश में भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश की भूपेश सरकार 2018 से ही ओबीसी और अन्य समाजों को आरक्षण देने के मामले में राजनीति कर रही है। आरक्षण की बात तो सरकार खूब उठाती है लेकिन जब अपनी बात कोर्ट में रखने की आती है तो आवश्यक पहलुओं पर पीछे हट जाती है। अब यह बात प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है।

दरअसल छत्तीसगढ़ में एसटी को 32 फीसदी, एससी को 13 फीसदी, ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के ऐलान किया था। साथ ही सवर्ण गरीबों को भी 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। मगर समाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट चले गए और कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण देने का उचित

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रयास तो खूब करते हैं लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर अपना पक्ष मजबूती या तथ्यों से नहीं रख पाते हैं। जिससे वह शांत हो जाते हैं।

आधार ना पाए जाने पर रोक लगा दी। वहीं सवर्ण गरीब आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दिया।

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में जिस तरह से राजनीति कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश सरकार ने आरक्षण की घोषणा की और उन्हीं के लोग हाईकोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। ओबीसी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह यहां नहीं मिल रहा। हम कह सकते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओबीसी विरोधी है। प्रदेश की प्रदेश की जनता कांग्रेस की बातों को अच्छे से समझ रही है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी परंपराओं व लोक जीवन को पॉलिटिकल पीआर से जोड़कर केवल अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। प्रदेश

भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी परंपराओं व लोक जीवन को पॉलिटिकल पीआर से जोड़कर केवल अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं।

में ओबीसी समाज की उपेक्षा का कारण भूपेश सरकार है। सरकार इस समाज को केवल वोट बैंक समझती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी समाजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब राज्यसभा में किसी छत्तीसगढ़िया को भेजने की बात आई, तब अपने दिल्ली के आकाओं के सामने नतमस्तक होकर मौन हो गए। सरकार की कथनी करनी में अंतर है।

बहरहाल छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की राजनीति बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। यही वजह है कि ओबीसी हितैषी बनने राजनीतिक दलों में होड़ सी मची हुई है। ऐसे में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में गाहे-बगाहे चर्चाएं होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से करीब डेढ़ साल पहले ओबीसी आरक्षण की आंच सुलगने लगी है, जो कितना असरदार होगी, आने वाला वक्त ही तय करेगा।

कहां फंसा है पेंच- साल 2019 में 15 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही थी कि इस बीच ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला सहित कुछ अन्य लोगों ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगा दी। जिस पर कोर्ट ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी और सरकार को क्वांटिफिएबल डाटा प्रस्तुत करने को कहा। जनजाति की जनंख्या क्रमश 14.64 प्रतिशत तथा 6.80 प्रतिशत थी। तदनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 25-3-70 को आरक्षण की प्रतिशतता 12 प्रतिशत और 05 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत कर दी गई थी। पदोन्नति के अन्य माध्यमों में चरणबद्ध रूप में आरक्षण लागू कर दिया गया है। जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कुल आरक्षण 49.5 प्रतिशत हो गया तथा यह खुली प्रतियोगिता से भिन्न भर्ती के मामले में 50 प्रतिशत हो गया। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार इन समुदायों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि पिछड़ा वर्ग को 14 के बजाए 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के छत्तीसगढ़ सरकार के फ़ैसले का पिछड़ा वर्ग ने देश भर में स्वागत किया था। यहां तक कि इस फ़ैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों के अलावा बिहार और दिल्ली में भी सम्मानित किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश ने सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 की जगह 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस बढ़ोतरी के साथ ही राय में आरक्षण का दायरा बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और एन. नागराज के मामले में सुनवाई के बाद

ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संग्राम लाल प्रेस कांन्फ्रेंस करते हुए।

आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रखे जाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। लेकिन राज्य सरकार ने पिछड़ेपन का हवाला देकर, बिना किसी जनगणना के एनएसएसओ के एक सर्वे को आधार बना कर आरक्षण का दायरा 27 प्रतिशत कर दिया। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आर्थिक रुप से कमज़ोर सामान्य जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को लेकर कोई टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है।

छत्तीसगढ़ में ओबीसी में कौन-कौन सी जाति आती हैं?- रंगरेज, भिश्ती, भिस्ती-अब्बासी, चिप्पाछिपा, हेला, भटियारा, धोबी, मेवाती, मेव, पिंजारा, नद्दाफ फकीरफकिर बेहना धुनिया धुनकर।

तत्काल 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग- छत्तीसगढ़ में भाजपा के दिग्गज ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर कटाक्ष किया। अजय चंद्राकर ने कहा कि बीते दिनों जगदलपुर में पिछड़ा वर्ग ने कांग्रेस की सभा बहिष्कार किया गया था। राय के मुखिया भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग, 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग एवं 10 प्रतिशत ईडब्लूएस को आरक्षण देने की घोषणा करते हुए कहा था कि अध्यादेश लाकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे।

मिशन-2023 की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस- छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी डेढ़ साल का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा खेमों की हलचल बता रही है कि दोनों पक्षों ने चुनावी झांकी सजानी शुरू कर दी है। दिल्ली से रायपुर तक बैठकों का दौर चल पड़ा है। रणनीतियां बन रही हैं। चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हर हाल में जीत के लिए फार्मूला तय हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकल रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा भी हो रहा है। दोनों ही पार्टियों का मकसद विकास कार्यो की जमीनी पड़ताल करना है लेकिन उद्देश्य मिशन- 2023 की रणनीति और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। भूपेश बघेल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 90 विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं और सरकार की नाकामियों को उपलब्धियों रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं।

नक़ाब हटाने की सज़ा मौत

संजीव कुमार आलोक

फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें के शासनकाल के इतिहास का एक रहस्यमय पृष्ठ अभी तक अनुत्तरित है। फ्रांस के प्रसिद्ध बास्तील कारागार में एक क़ैदी की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन के अंतिम 34 साल इस जेल की एक कोठरी में बिताए थे। इस क़ैदी के साथ यह विशेषता थी कि उसे जेल में अपना चेहरा लगातार एक मख़मल की नक़ाब से छिपाकर रखना पड़ा था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी नक़ाब उतारी नहीं गई। वरन उसी हालत में उसे दफ़ना दिया गया।

लुई चौदहवें मरने के बाद एक तत्कालीन फ्रांसीसी राजकुमार ने अंग्रेज़ी दरबार के एक मित्र को पत्र लिखा था, अनेक वर्ष से एक मनुष्य बास्तील की जेल में नक़ाब पहन कर रहा रहा था, उसी दशा में उसकी मौत हुई। दो बंदूकधारी रक्षक सदैव उसके साथ रहते थे ताकि वह अपना नक़ाब न हटा ले। नक़ाब हटाने पर उसे तत्काल गोली मार देने का हुक़्म था। नक़ाब लगाए रखने के अतिरिक्त उसे और कोई कष्ट न था। उसके निवास तथा भोजन का अच्छा प्रबंध था और उसकी सुविधा के अनुसार उसे रखा जाता था। अभी तक किसी को यह जानकारी नहीं हो सकी कि वह कौन था?

संभव है कि किसी भारी अपराध के दंडस्वरूप उसे सदैव नक़ाब पहने रहने का आदेश प्राप्त हुआ हो, पर कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। जब वह क़ैदी पहली डंकर्क जेल में डाला गया, तब जेल अधिकारियों को आदेश दिया गया कि महत्वपूर्ण राजनीतिक क़ैदियों के साथ बरती जाने वाली सुरक्षा से भी अधिक सावधानीपूर्वक उसके व्यक्तित्व की गोपनीयता रखी जाए। जब वह तूरिन के निकट पिगनेरोल में क़ैद था, तब भी जेल प्रशासन मोशिए संेत मार्श को यह आदेश था कि यदि यह क़ैदी नित्यक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर चेहरा खोले तो उसका गला घोंटकर उसे मार डाला जाए।

मोशिए मार्श की जब बास्तील से बदली हुई तब उस क़ैदी को भी उसके साथ भेजा गया था। मार्श को बास्तील की जेल का प्रशासक बना दिया गया। इस समय तक उस क़ैदी को जेल में रहते 30 वर्ष बीत चुके थे, पर तब भी उसके विषय में सारे आदेश पूर्ववत् लागू थे।

नक़ाब गोपनीयता के लिए

इससे स्पष्ट होता है कि वह क़ैदी कोई अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसका प्रकट हो जाना राज अथवा अधिकारियों के लिए बहुत हानिकारक होता, पर ध्यान देने की बात है कि ऐसे लोगों को ख़ासतौर से मध्यकाल में तत्काल मरवा दिया जाता था, किन्तु उसे मारा न जाकर हर प्रकार से गुप्त रखा गया, मानो जीवित ही उसे मार डाला गया। वास्तव में नक़ाब उसकी सज़ा का कोई अंग न होकर उसे गुप्त रखने का साधन मात्र थी। इस अनोख़े क़ैदी के बारे में बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रख्यात राजनीतिज्ञ एवं विद्वान लॉर्ड क्विकज़ोट ने अपने शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वह रहस्यपूर्ण क़ैदी और कोई नहीं, बल्कि स्वयं सम्राट लुई चौदहवें के वैधानिक पिता लुई तेरहवें और उसकी रानी ऐन (ऐन ऑफ ऑस्ट्रिया) को जब संतान नहीं हुई, तब राज दंपती के साथ फ्रांस के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष तथा राजा के प्रथम मंत्री कार्डिनल डी. रिचूल को भी फ़िक्र हुई। कहने के लिए तो रिचूल को भी फ्रांस हुई। कहने के लिए तो रिचूल फ्रांस का

धर्माध्यक्ष था, पर वास्तव में फ्रांस का शासक वही था। राज़ा तो उसके हाथों में एक कठपुतली की तरह खेलता था। रिचूल चाहता था कि राजा को एक उत्तराधिकारी उत्पन्न हो, जो उसकी छत्रछाया में शासन करे।

वर्षों तक राजा-रानी अलग रहे थे, पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिचूल ने एक षड्यंत्र रचा और रानी ने 1638 ई. में एक पुत्र का प्रसव किया। यही शिशु प्रसिद्ध लुई चौदहवां था। वैसे तो यह घटना नाटकीय है, पर राजदरबारों के लिए एक सामान्य-सी बात। फ्रांस की तत्कालीन राज़नीति एवं सामाजिक स्थिति का आधार ही था भ्रष्टाचार राज़परिवार एवं सामाजिक स्थिति का आधार ही था भ्रष्टाचार। राज़परिवार, सामंत और धन वर्ग के लोग, किसी भी प्रकार की सामाजिक वर्जना से दूर, निर्भय होकर एकाधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाए रखते थे। रिचूल को राजवंश के बाहर किसी व्यक्ति की व्यवस्था करने की जरुरत नहीं पड़ी। फ्रांस के राजवंश बूर्बों में से ही उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना।

लुई तेरहवें के पिता की कई अवैध संतानें समाज में अपना स्थन बनाकर पेरिस में रह रही थीं। उनमें निःसंदेह शाही रक्त था। रिचूल को रानी के साथ नियोग के लिए किसी ऐसे राजवंशीय व्यक्ति को खोजने में दिक्कत नहीं हुई और फलस्वरूप रानी ऐन के गर्भ से लुई और चौदहवें का जन्म हुआ। तत्कालीन राज़नीतिक स्थिति में रानी के सम्मुख कोई अन्य विकल्प भी नहीं था।

लुई चौदहवें के कुछ बड़े होने पर लोगों ने काना-फूसी की कि शिशु राजकुमार में उसके वैधानिक पिता लुई तेरहवें की विशेषताएं नहीं हैं। वह अपने पिता की अपेक्षा अधिक समर्थ एवं शक्तिमान प्रतीत होता था। मुखाकृति में भी पर्याप्त अंतर था। अनुमान किया जाता था कि लुई चौदहवें के असली पिता को लुई के

जन्म के बाद कनाडा भेज दिया गया ताकि राजपरिवार का भेद सुरक्षित रहे। फिर कुछ वर्षों के बाद जब लुई राजा हुआ तब वह फ्रांस लौट आया होगा, ताकि अपने पुत्र की कृपा से वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।

जीवित मृत्यु का वरण

उस व्यक्ति के पेरिस लौटने पर एक तूफ़ान-सा उठता दिख पड़ा। राजा के जन्म को लेकर जनता में अफ़वाहें पहले भी फैली थीं, इधर इस आगंतुक के साथ राजा का सादृश्य देखकर दबी जुबान में टीका-टिप्पणी करने लगे। राज-परिवार और दरबार में भी अशांति उटा खड़ी हुई। स्वयं लुई का राजस्व खतरे में पड़ता दिखा। इसका निराकरण उसके वास्तविक पिता की मृत्यु से ही संभव था, पर लुई इतना अधिक क्रूर न बन पाया कि अपने जन्मदाता को ही मरवा डाले। इस स्थिति में एकमात्र विकल्प यह था कि उसे संसार की दृष्टि से सर्वथा हटाकर जीवित मृत्यु के हवाले कर दिया जाए। वह जीवित रखा गय, पर न रहने के बराबर। साक्ष्यों के आधार पर इस रहस्यपूर्ण नक़ाबपोश क़ैदी की यह कथा संभव है। इस पर प्रायः सभी इतिहासकार एवं विद्वान सहमत हैं।

क्या वह दास था?

वह अभागा क़ैदी, मृत्यु के बाद भी वैसे ही नक़ाब के साथ एक काल्पनिक नाम से जेल में दफ़नाया गया। उसका कोई स्मारक नहीं रहा। जेल में रिकॉर्डों में उल्लिखित उसका नाम छद्मनाम है-यूस्ताश डॉगर-एक दास।

ड्यूमा की कल्पना

प्रख्यात फ्रेंच उपन्यासकार अलेक्जेंडर ड्यूमा ने इस घटना से प्रेरणा लेकर अपना प्रसिद्ध उपन्यास द मैन इन द आयरन मास्क लिखा। इस उपन्यास में उसने यह संभावना प्रकट की थी कि वह रहस्यपूर्ण क़ैदी स्वयं सम्राट लुई होगा, जिसे उसके जुड़वां भाई ने इस सम्मानित क़ैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। पर यह उपन्यासकार की कल्पना का रंग है। लुई के कोई जुड़वां भाई नहीं था। ड्यूमा ने फ्रांस के तत्कालीन राजनीति पर आधारित अपने प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास द थ्री मम्केटिर्स में धर्माध्यक्ष रिचूल का चित्रण किया है और उसके हथकंडों तथा छल-कपट का विस्तृत रूप में जिक्र किया है।

Water Pollution an Invitation to health diseases

Vaibhav Pathak

It is a well-known fact that pure and clean water is absolutely essential for healthy and long living. Adequate supply of fresh and clean drinking water is a basic need for all human beings on the earth, yet the fact is that millions of people worldwide are deprived of this.

Freshwater resources all over the world are threatened not only by over exploitation and poor management but also by ecological degradation. The main source of freshwater pollution can be attributed to discharge of untreated waste, dumping of industrial effluent, and run-off from agricultural fields. Industrial growth, urbanization and the increasing use of synthetic organic substances have serious and adverse impacts on freshwater bodies. It is a generally accepted fact that the developed countries suffer from problems of chemical discharge into the water sources mainly groundwater, while developing countries face problems of agricultural run-off in water sources. Polluted water like chemicals in drinking water causes problem to health and leads to water-borne diseases which can be prevented by taking measures can be taken even at the household level.

Groundwater and its contamination

Many areas of groundwater and surface water are now contaminated with heavy metals, POPs (persistent

organic pollutants), and nutrients that have an adverse affect on health. Water-borne diseases and water-caused health problems are mostly due to inadequate and incompetent management of water resources. Safe water for all can only be assured when access, sustainability, and equity can be guaranteed. Access can be defined as the number of people who are guaranteed safe drinking water and sufficient quantities of it. There has to be an effort to sustain it, and there has to be a fair and equal distribution of water to all segments of the society. Urban areas generally have a higher coverage of safe water than the rural areas. Even within an area there is variation: areas that can pay for the services have access to safe water whereas areas that cannot pay for the services have to make do with water from hand pumps and other sources.

In the urban areas water gets contaminated in many different ways, some of the most common reasons being leaky water pipe joints in areas where the water pipe and sewage line pass close together. Sometimes the water gets polluted at source due to various reasons and mainly due to inflow of sewage into the source.

Ground water can be contaminated through various sources and some of these are mentioned below.

Pesticides. Run-off from farms, backyards, and golf courses contain pesticides such as DDT that in turn contaminate the water. Leechate from landfill sites is another major contaminating source. Its effects on the ecosystems and health are endocrine and reproductive damage in wildlife. Groundwater is susceptible to contamination, as pesticides are mobile in the soil. It is a matter of concern as these chemicals are persistent in the soil and water.

Sewage. Untreated or inadequately treated municipal sewage is a major source of groundwater and surface water pollution in the developing countries. The organic material that is discharged with municipal waste into the watercourses uses substantial oxygen for biological degradation thereby upsetting the ecological balance of rivers and lakes. Sewage also carries microbial pathogens that are the cause of the spread of disease.

Nutrients. Domestic waste water, agricultural run-off, and industrial effluents contain phosphorus and nitrogen, fertilizer run-off, manure from livestock operations, which increase the level of nutrients in water bodies and can cause eutrophication in the lakes and rivers and continue on to the coastal areas. The nitrates come mainly from the fertilizer that is added to the fields. Excessive use of fertilizers cause nitrate contamination of groundwater, with the result that nitrate levels in drinking water is far above the safety levels recommended. Good agricultural practices can help in reducing the amount of nitrates in the soil and thereby lower its content in the water.

Synthetic organics. Many of the 100 000 synthetic compounds in use today are found in the aquatic environment and accumulate in the food chain. POPs or Persistent organic pollutants, represent the most harmful element for the ecosystem and for human health, for example, industrial chemicals and agricultural pesticides. These chemicals can accumulate in fish and cause serious damage to human health. Where pesticides are used on a large-scale, groundwater gets contaminated and this leads to the chemical contamination of drinking water.

Acidification. Acidification of surface water, mainly lakes and

reservoirs, is one of the major environmental impacts of transport over long distance of air pollutants such as sulphur dioxide from power plants, other heavy industry such as steel plants, and motor vehicles. This problem is more severe in the US and in parts of Europe.

Chemicals in drinking water

Chemicals in water can be both naturally occurring or introduced by human interference and can have serious health effects.

Fluoride. Fluoride in the water is essential for protection against dental caries and weakening of the bones, but higher levels can have an adverse effect on health. In India, high fluoride content is found naturally in the waters in Rajasthan.

Arsenic. Arsenic occurs naturally or is possibly aggrevated by over powering aquifers and by phosphorus from fertilizers. High concentrations of arsenic in water can have an adverse effect on health.A few years back, high concentrations of this element was found in drinking water in six districts in West Bengal. A majority of people in the area was found suffering from arsenic skin lesions. It was felt that arsenic contamination in the groundwater was due to natural causes. The government is trying to provide an alternative drinking water source and a method through which the arsenic content from water can be removed.

Lead. Pipes, fittings, solder, and the service connections of some household plumbing systems contain lead that contaminates the drinking water source.

Recreational use of water. Untreated sewage, industrial effluents, and agricultural waste are often discharged into the water bodies such as the lakes, coastal areas and rivers endangering their use for recreational purposes such as swimming and canoeing.

Petrochemicals. Petrochemicals contaminate the groundwater from underground petroleum storage tanks.

Other heavy metals. These contaminants come from mining waste and tailings, landfills, or hazardous waste dumps.

Chlorinated solvents. Metal and plastic effluents, fabric cleaning, electronic and aircraft manufacturing are often discharged and contaminate groundwater.

Disease

Water-borne diseases are infectious diseases spread primarily through contaminated water. Though these diseases are spread either directly or through flies or filth, water is the chief medium for spread of these diseases and hence they are termed as water-borne diseases.

Most intestinal (enteric) diseases are infectious and are transmitted through faecal waste. Pathogens which include virus, bacteria, protozoa, and parasitic worms are disease-producing agents found in the faeces of infected persons. These diseases are more prevalent in areas with poor sanitary conditions. These pathogens travel through water sources and interfuses directly through persons handling food and water. Since these diseases are highly infectious, extreme care and hygiene should be maintained by people looking after an infected patient. Hepatitis, cholera, dysentery, and typhoid are the more common water-borne diseases that affect large populations in the tropical regions.

A large number of chemicals that either exist naturally in the land or are added due to human activity dissolve in the water, thereby contaminating it and leading to various diseases.

Pesticides. The organophosphates and the carbonates present in pesticides affect and damage the nervous system and can cause cancer. Some of the pesticides contain carcinogens that exceed recommended levels. They contain chlorides that cause reproductive

and endocrinal damage.

Lead. Lead is hazardous to health as it accumulates in the body and affects the central nervous system. Children and pregnant women are most at risk.

Fluoride. Excess fluorides can cause yellowing of the teeth and damage to the spinal cord and other crippling diseases.

Nitrates. Drinking water that gets contaminated with nitrates can prove fatal especially to infants that drink formula milk as it restricts the amount of oxygen that reaches the brain causing the 'blue baby' syndrome. It is also linked to digestive tract cancers. It causes algae to bloom resulting in eutrophication in surface water.

Petrochemicals. Benzene and other petrochemicals can cause cancer even at low exposure levels.

Chlorinated solvents. These are linked to reproduction disorders and to some cancers.

Arsenic. Arsenic poisoning through water can cause liver and nervous system damage, vascular diseases and also skin cancer.

Other heavy metals. Heavy metals cause damage to the nervous system and the kidney, and other metabolic disruptions.

Salts. It makes the fresh water unusable for drinking and irrigation purposes.

Exposure to polluted water can cause diarrhoea, skin irritation, respiratory problems, and other diseases, depending on the pollutant that is in the water body. Stagnant water and other untreated water provide a habitat for the mosquito and a host of other parasites and insects that cause a large number of diseases especially in the tropical regions. Among these, malaria is undoubtedly the most widely distributed and causes most damage to human health.

Preventive measures

Water-borne epidemics and health hazards in the aquatic environment are mainly due to improper management of water resources. Proper management of water resources has become the need of the hour as this would ultimately lead to a cleaner and healthier environment.

In order to prevent the spread of water-borne infectious diseases, people should take adequate precautions. The city water supply should be properly checked and necessary steps taken to disinfect it. Water pipes should be regularly checked for leaks and cracks. At home, the water should be boiled, filtered, or other methods and necessary steps taken to ensure that it is free from infection.

Minamata: environmental contamination with methyl mercury

In Minamata, Japan, inorganic mercury was used in the industrial production of acetaldehyde. It was discharged into the nearby bay as waste water and was ingested by organisms in the bottom sediments. Fish and other creatures in the sea were soon contaminated and eventually residents of this area who consumed the fish suffered from MeHg (methyl mercury) intoxication, later known as the Minamata disease. The disease was first detected in 1956 but the mercury emissions continued until 1968. But even after the emission of mercury stopped, the bottom sediment of the polluted water contained high levels of this mercury.

Various measures were taken to deal with this disease. Environmental pollution control, which included cessation of the mercury process; industrial effluent control, environmental restoration of the bay; and restrictions on the intake of fish from the bay. This apart research and investigative activities were promoted assiduously, and compensation and help was offered by the Japanese Government to all those affected by the disease.

The Minamata disease proved a turning point, towards progress in environment protection measures. This experience clearly showed that health and environment considerations must be integrated into the process of economic and industrial development from an early stage.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

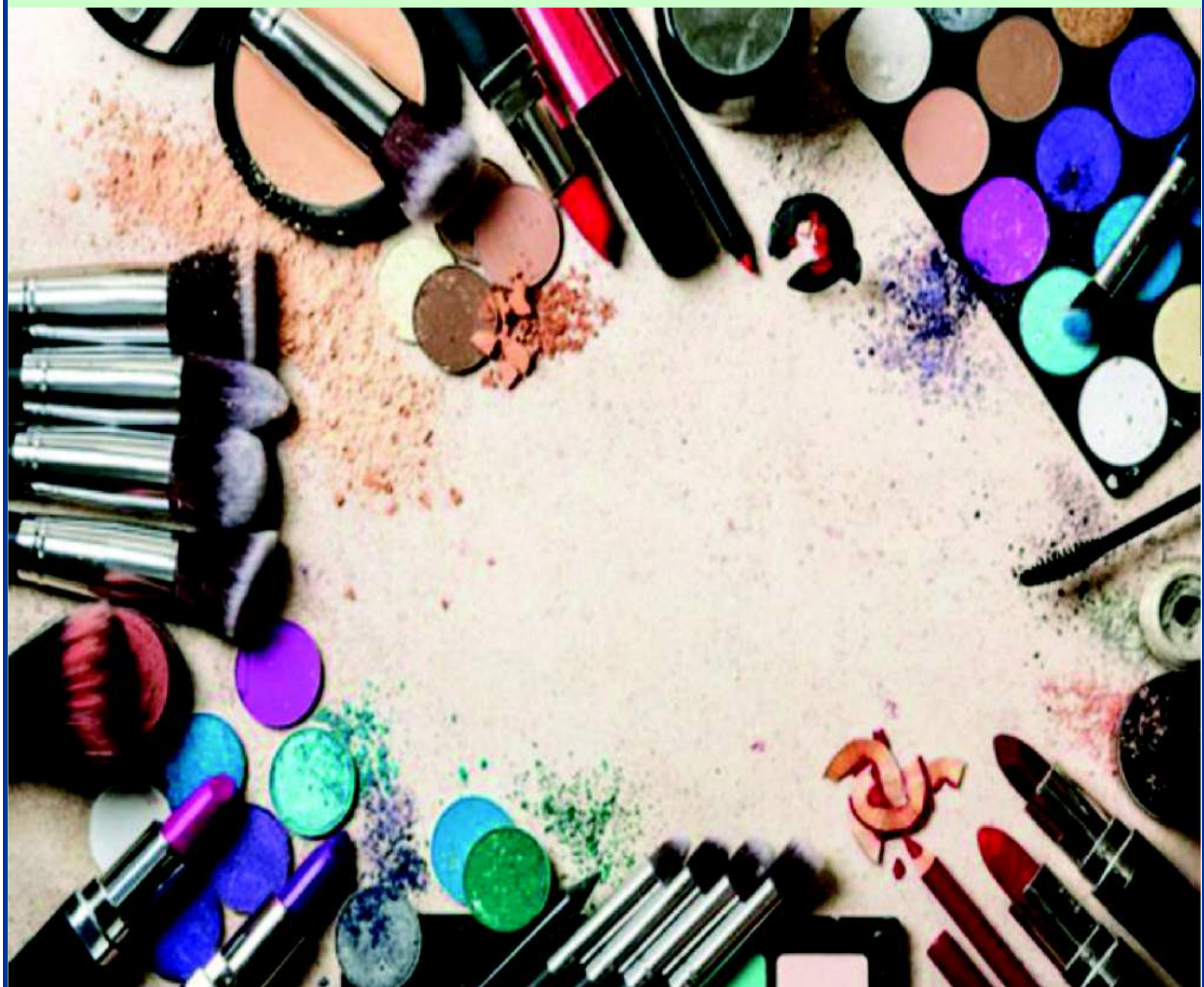

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

सावधानी से गाड़ी चलाएँ
या आप उसी जगह पँहुच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।
निधि ट्रस्ट
जनहित के लिए जारी